सत्यमेव जयते

भारत सरकार

आउटकम बजट
2010-2011

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
नई दिल्ली

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

का

आउटकम बजट

2010-11

नई दिल्ली

2010

विषय सूची

निष्पादन सारांश (i)-(iii)

अध्याय 1 — पृष्ठ

मंत्रालय के कार्यों पर टिप्पणी,संगठनात्मक ढ़ांचा, कार्यक्रम और स्कीमें । 1-24

अध्याय II

विस्तृत वित्तीय परिव्यय, परियोजित वास्तविक कार्यनिष्पादन और परियोजित/वास्तविक बजटीय परिणाम । 25-27

अध्याय III

निम्नलिखित के विषय में विस्तृत सुधार उपाय और नीतिगत पहल 29-37

(1) युवा कल्याणकारी स्कीमें

(2) खेल कूद और शारीरिक शिक्षा

अध्याय IV

2008-09 और 2009-10 के दौरान निष्पादन की समीक्षा 39-44

अध्याय V

वित्तीय समीक्षा बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय उपभोग प्रमाणपत्रों तथा अप्रयुक्त अधिशेष के संबंध में स्कीम-वार, शीर्ष-वार, संस्था-वार (स्वायत्तशासी निकायों के मामले में) ब्यौरे तथा स्थिति 45-46

अध्याय VI

सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के निष्पादन की समीक्षा 47-52

अनुबंध I मंत्रालय का संगठनात्मक ढ़ांचा 53-54

अनुबंध II वर्ष 2010-11 के लिए आउटकम बजट 55-76

अनुबंध III बजट अनुमान का विवरण व्यय बजट खंड II में शामिल किया गया है। 77-85

*****

निष्पादन सारांश

1 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को युवाओं और किशोरों के विकास, खेल तथा शारीरिक शिक्षा के बारे में केंद्रीय सरकार के कार्यों से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रालय में दो पृथक विभाग अर्थात युवा कार्यक्रम विभाग तथा खेल विभाग, प्रत्येक सचिव की अध्यक्षता तथा कैबिनेट मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के समग्र प्रभार के अंतर्गत है |

2 "युवा कार्यक्रम" विषय मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है | युवाओं और किशोरों की आबादी कुल आबादी की लगभग 45% है, और 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या आबादी की लगभग 75% है। इससे एक प्रभावी 'जनसांख्यिकी भाग 'का लाभ पाने का न केवल एक अद्वितीय अवसर सृजित होता है, बल्कि एक स्वस्थ और उत्पादक कार्यबल सृजित करने के उद्देश्य से एक व्यापक ढंग से युवाओं और किशारों की आवश्यकताओं को पूरा करने की अत्यावश्यकता भी रेखांकित होती है।

3 युवाओं और किशारों की चिंताओं से संबंधित मसलों का समाधान मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल, सामाजिक न्याय, श्रम और रोजगार इत्यादि से संबंधित क्षेत्रवार कार्यक्रमों के जरिए किया जाना चाहिए। तथापि, यद्यपि इनमें विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, फिर भी इनसे सभी युवाओं की चिंताओं का समाधान एक संपूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता। अंतः युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय युवाओं और किशोरों के विकास के लिए अनेक स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है जिन्हें इस प्रलेख में दिया गया है और उनकी समीक्षा की गई है। इन स्कीमों को जोर दिए जाने वाले तीन मुख्य क्षेत्रों- अर्थात् व्यक्तित्व विकास, कार्य में भागीदारी/नियोजनीयता के लिए तैयारी, और अधिकारिता को शामिल करके एक एकीकृत ढांचे के अंग के रूप में पुनः अभिमुख किए जाने का प्रस्ताव है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के प्रकार्यों और कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण और बड़ा परिवर्तन किए जाने की भी परिकल्पना की गई है जिसका उद्देश्य बुनियादी युवा संगठनों/युवा क्लबों को सक्रिय करना है तथा उन्हें विभिन्न युवा नेतृत्व कार्यक्रमों से जोड़ना भी है। राष्ट्रीय सेवा योजना को भी विस्तृत किए जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया है कि युवाओं और किशोरों के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप किए जाने के लिए विभिन्न युवा संगठनों को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रत्यक्ष रखकर एक भारत युवा नेटवर्क में परस्पर जोड़कर रखा जाए।

4 "खेल विषय" मंत्रालय के खेल विभाग का है | जहां तक खेल के विषय का संबंध है, इसे संविधान की राज्य सूची में रखा गया है। अतः यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे खेलों का विकास एवं संवर्धन करें। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिस्पर्धात्मक खेलों और उत्कृष्टता के संवर्धन के संदर्भ में भिन्न भिन्न खेल विधाओं के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है जो कि पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन हैं। सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को खेल अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता की कतिपय स्कीमों के जरिए सहायता देती आ रही थी किंतु 1-4-2005 से इन्हें राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीमों की तैयारी की दृष्टि से केंद्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से और भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन है, के जरिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के अवसर, प्रशिक्षण/कोचिंग आदि के लिए वित्तीय सहायता और विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण भी युवा प्रतिभाओं का पता लगाने और उनका पोषण करने के लिए अनेक स्कीमें चला रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय भी खिलाड़ियों को खेल एक कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन देकर स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन सभी स्कीमों की संक्षेप में समीक्षा इस प्रलेख में की गई है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी दी गई है।

5 राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ द्वारा दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आयोजन का कार्य देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि सभी आवश्यक अवसंरचनाएं और सुविधाएं समय पर तैयार हों। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभिन्न संस्थागत प्रबंध भी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है कि भारतीय दल का निष्पादन मेजबान देश की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

6 विभाग का दृष्टिकोण यह है कि देश की मेजबानी में आयोजित की जा रही ऐसी बड़ी प्रतियोगिताओं की दीर्घकालिक विरासत देशभर में वृहत् आधारवाली खेल संस्कृति के विकास से भी संबंधित हो और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के समूह में पर्याप्त विस्तार हो जिन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए सम्मान हासिल करने के लिए विकसित किया जा सके। इसे ध्यान में रखकर मंत्रालय द्वारा ' पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान ' नाम की स्कीम के अंतर्गत एक बड़ी पहल शुरू की जा रही है जिसका उद्देश्य गांव/उप जिला स्तर पर युवाओं के विकास के आवश्यक घटक के रूप में और प्रतिभाओं का पता लगाने के आधार को पर्याप्त विस्तार देने के लिए साधन

के रूप में बुनियादी खेल अवसंरचना सृजित करना तथा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

7 मंत्रालय का खेल विभाग शारीरिक शिक्षा से भी संबंधित है और उन क्षेत्रों से संबंधित है जो युवा विकास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में और युवाओं के शारीरिक विकास के साथ खेल क्षमता को बढ़ाने के साधन के रूप में भी शारीरिक स्वस्थता से घनिष्ठ रूप से जुड़े हों। इस कार्य के संदर्भ में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, जो मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम और गतिविधियां चला रहा है। इसी प्रकार लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, तिरूवनंतपुरम इसी प्रकार का पाठ्यक्रम के एक शैक्षिक विंग के रूप चला रहा है। प्रस्ताव है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज तथा भाखेप्रा के अन्य गतिविधियों के साथ अधिक बेहतर तालमेल रखा जाए, साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि स्कूलों में आवश्यक शिक्षा और खेल के बारे में नीति का कार्यान्वयन अधिक कारगर ढंग से किया जाए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ इस मामले को उठा रहा है।

8 हाल के वर्षों में निष्पादन की समीक्षा से पता चलता है कि आबंटित परिव्यय को उपयोग करना संभव नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से स्थिति में सुधार हुआ है और इससे भी अच्छी स्थिति हो सकती थी किंतु लंबित उपभोग प्रमाणपत्रों के कारण पेश आई कुछ समस्याओं के कारण ऐसा न हो सका। इससे यह संकेत मिलता है कि इसमें ऐब्जार्प्सन क्षमता है। इस बात को ध्यान में रखकर और 11वी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित पहल को भी ध्यान में ध्यान में रखते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए काफी अधिक परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था। दिया गया वास्तविक परिव्यय इस प्रलेख में संबंधित खण्डों में दिखाया गया है।

9 लंबित उपभोग प्रमाणपत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई है और लंबित मामलों के परिसमापन के लिए सतत प्रयास किए गए हैं और इसमें शामिल धनराशि के मद्देनजर पर्याप्त प्रगति हुई है।

****

अध्याय-I

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का संगठन, कार्य, नीतियां तथा कार्यक्रम

अध्याय-I

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का संगठन, कार्य, नीतियां तथा कार्यक्रम

संगठन

1.1 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय के अंतराल के पश्चात आया है । 1982 में नई दिल्ली में 9 वें एशियाई खेलों के आयोजन के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत खेल विभाग स्थापित किया गया था । जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा "सहभागिता विकास तथा शांति" के उद्देश्य से 1985 को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था तब इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत **युवा कार्यक्रम और खेल विभाग** के रूप में विस्तार दिया गया । 17 मई, 2000 को विभाग को स्तरोन्नत करके युवा कार्यक्रम और खेल को पूर्ण मंत्रालय का रूप दिया गया । इस मंत्रालय के अंतर्गत 29 अप्रैल, 2008 में मंत्रालय के दो पृथक विभाग अर्थात युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग बनाए गए | मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध 1 में संलग्न है ।

1.2 युवा कार्यक्रम और विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित स्वायत्तशासी निकाय/अधीनस्थ कार्यालय हैं:-

1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन, जो 1987 में स्थापित पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन है ।
2. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, 1993 में स्थापित पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन |
3. राष्ट्रीय सेवा योजना, जो मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन के रूप में कार्य करता है ।

1.3 खेल विभाग के तहत निम्नलिखित स्वायत्तशासी निकाय/स्वायत्तशासी कार्यालय हैं:-

i भारतीय खेल प्राधिकरण, जो 1984 में स्थापित पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन है ।

ii लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान शारीरिक शिक्षा के लिए शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान है ।

iii बुनियादी स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना तथा खेल स्पर्धाओं के संवर्धन केलिए पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) ।

iv पूरे देश में खेल के मैदानों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्र संघ (एनपीएफएआई) ।

(v) राष्ट्रीय डोप निरोधी एजेंसी (नाडा) जो ड्रग्स के उपयोग की रोकथाम पंजीकरण अधिनियम, 1860 के और स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए परीक्षण-आयोजना, परिणाम प्रबंधन, अनुशासनात्मक व अपीलीय कार्यों के लिए उत्तरदायी है |

(vi) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) जो डोप परीक्षण और अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है ।

2 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के कार्य:

2.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली 1961 के अनुसार, युवा कार्यक्रम विभाग को निम्नलिखित विशिष्ट विषय आबंटित किए गए हैं:-

(क) युवा कार्यक्रम/युवा नीति

(ख) नेहरु युवा केन्द्र संगठन

(ग) राष्ट्रीय पुन:निर्माण कोर्प्स (राष्ट्रीय सदभावना योजना)

(घ) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

(ड.) ग्रामीण युवाओं एवं खेल क्लबों को सहायता की स्कीम

(च) राष्ट्रीय युवा आयोग

(छ) राष्ट्रीय सेवा स्कीम

(ज) स्वैच्छिक युवा संगठनों को वित्तीय सहायता सहित (युवा और किशोर विकास के लिए युवा संगठनों को वित्तीय सहायता)

(झ) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम

(ञ) राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक

(ट) युवा कल्याण गतिविधियां, युवा महोत्सव, कार्य शिविर इत्यादि (राष्ट्रीय युवा महोत्सव)

(ठ) बाल-स्काउट तथा बालिका-गाइड

(ड) युवा छात्रावास

(ढ) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और तेनजिंग नॉर्गे युवा पुरस्कार)

(ण) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम के बचे हुए कार्य

(प) विदेशों से युवा प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान

2.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली 1961 के अनुसार, खेल विभाग को निम्नलिखित विशिष्ट विषय आबंटित किए गए हैं:-

(क) खेल नीति

(ख) खेलकूद

(ग) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

(घ) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान

(ङ.) भारतीय खेल प्राधिकरण

(च) भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों से संबंधित मामले

(छ) विदेशों में टूर्नामेंटों में भारतीय खेल टीमों की भागीदारी तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी खेल टीमों की भागीदारी

(ज) अर्जुन पुरस्कार सहित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

(झ) खेल छात्रवृत्ति

(ञ) विदेशों से खिलाड़ियों विशेषज्ञों तथा टीमों का आदान-प्रदान

(ट) खेल अवसंरचनाओं को वित्तीय सहायता जिसमें ऐसी अवसंरचनाओं के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

(ठ) कोचिंग, टूर्नामेंटों और उपकरणों इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता

(ड) केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से संबंधित खेलों के मामले

(ढ) शारीरिक शिक्षा

2.3 यह ध्यान देने तथा स्वीकार करने की बात है कि प्रतिस्पर्धात्मक खेलों से संबंधित खेल तथा शारीरिक शिक्षा इसके अन्य पक्षों के अलावा, इन्हें युवा विकास के जीवंत घटकों के रुप में समझा गया है और इस तरह से इन दो क्षेत्रों के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं।

2.4 19वें राष्ट्रमंडल खेल, बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर, 2010 तक आयोजित किए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए खेल विभाग के अंतर्गत संयुक्त सचिव (आईएसडी) के प्रभार में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रभाग सृजित किया गया है तथा उक्त कार्यक्रम उसे सौंप दिया गया है।

3 नीतियां-युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

3.1 यद्यपि, सामान्य रुप में, युवा विकास तथा खेल और शारीरिक शिक्षा के मुद्दों पर योजना प्रक्रिया के प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाता रहा है, परंतु पृथक नीति ढांचा विकसित करने की सुव्यवस्थित कार्रवाई 1982 में खेल विभाग के सृजन के बाद ही शुरु हुई और 1985 में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग में इसे विस्तार दिया गया | अन्य बातों के साथ-साथ, इन परिवर्तनों के कारण 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति और 1988 में राष्ट्रीय युवा नीति अधिसूचित की गई | बाद में इनकी समीक्षा की गई तथा इन्हें क्रमशः राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 और राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 से प्रतिस्थापित किया गया |

3.2 राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 में युवा अधिकारिता तथा योजना तथा विकास की प्रक्रिया में युवाओं की सहभागिता, लिंग न्याय, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय तथा सुव्यवस्थित सूचना एवं अनुसंधान नेटवर्क पर युवाओं से संबंधित मुद्दों पर जोर देते हुए ग्रामीण तथा जनजातीय युवाओं, स्कूल न जाने वाले युवाओं, शारीरिक रुप से अक्षम तथा विशेष रुप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी गई है | इस विस्तृत रुपरेखा में यह युवा विकास के प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाती है जैसे, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, मनोरंजन और खेल, पर्यावरण संरक्षण, प्रशिक्षण तथा रोजगार, कला और संस्कृति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और नागरिक शास्त्र व अच्छी नागरिकता |

4 नीतियां-खेल विभाग

4.1 **राष्ट्रीय खेल नीति की पहल:** पूर्ववर्ती योजनाओं में शारीरिक शिक्षा, खेल पर ध्यान दिया जाता रहा है | तथापि, यह केवल 1982 में नौवें एशियाई खेलों के लिए भारत की मेजबानी करने के बाद ही यह हुआ कि "खेल" पर नीतिगत विषय के रुप में ध्यान दिया जाना प्रारंभ हुआ | राष्ट्रीय खेल नीति, 1984 देश में खेलों के विकास तथा संवर्धन और वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 की आधारशिला बनने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम था |

4.2 **राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 :** राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के दो अभिन्न लक्ष्य खेलों को "विस्तृत आधार प्रदान करना" तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना" है |

4.3 नीति की प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

i) खेलों का विस्तृत आधार तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि;

ii) अवसंरचना का स्तरोन्नयन तथा विकास;

iii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उपयुक्त निकायों को सहायता;

iv) खेलों को वैज्ञानिक तथा कोचिंग सहायता का सुदृढ़ीकरण

v) खेलों के संवर्धन को प्रोत्साहन

vi) महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा;

vii) खेलों के संवर्धन में कारपोरेट क्षेत्र की भागीदारी; और

viii) बड़े पैमाने पर लोगों में खेलों के प्रति जागरुकता का संवर्धन |

5 कार्यक्रम और योजनाएं

5.1 युवा कार्यक्रम विभाग

5.1.1 युवा कार्यक्रम के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों एवं कार्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है:-

i) नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)

ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

iii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआइवाइडी)

iv) युवा छात्रावास

v) राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)

vi) राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम

क) राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम

ख) राष्ट्रीय सदभावना योजना

vii) स्काउटिंग एवं गाइडिंग

viii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क) युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

ख) राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम

5.1.2 प्रथम दो योजनाओं अर्थात एनवाईकेएस और एनएसएस इस मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम है जिनमें संस्थात्मक, कार्यकारी तथा वित्तीय मामलों में इसकी गतिविधियों के प्रमुख भाग शामिल हैं और इसके अलावा, अगली तीन योजनाओं तथा आरजीएनआईवाईडी में युवा नेटवर्क के कोर शामिल हैं। उपर्युक्त सूची में अगली चार योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक

प्रशिक्षण, किशोरों के विकास, राष्ट्रीय एकता और साहस से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता एनजीओ तथा अन्य संगठनों और संस्थानों को प्रदान की जाती है। इन चारों स्कीमों की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2008 में इन्हें राष्ट्रीय युवा विकास कार्यक्रम के तहत समेकित किया गया | युवा हास्टल की योजना इस मंत्रालय की एकमात्र बुनियादी योजना है जिसका उद्देश्य युवा भ्रमण तथा हास्टल व्यवस्था को उन्नत करना है। स्काउटिंग तथा गाइडिंग योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर लगाने तथा सम्पूर्ण देश में जम्बोरी आयोजित करने के लिए भारत स्काउट तथा गाइड को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

6 कार्यक्रम और स्कीम

6.1 **खेल विभाग:** खेल विभाग के कार्यक्रमों तथा स्कीमों को निम्नलिखित पांच विशद शीर्षों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

6.1 (क) खेल अवसंरचना विकास:

i) ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना के संवर्धन के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) (अवसंरचना घटक)।

ii) शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना के लिए स्कीम (तैयार की जा रही है) ।

6.1 (ख) खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन:

i) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम

ii) प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण स्कीम

iii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि

6.1 (ग) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन:

i) राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम (राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो योजनागत स्कीम है; तथा अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो गैर-योजनागत स्कीमें हैं)

ii) अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार की स्कीम

iii) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन की स्कीम

iv) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी

v) राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष

6.1 (घ) संस्थानों को सहायता की स्कीम:

i) भाखेप्रा को सहायता अनुदान की स्कीम

ii) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय को सहायता-अनुदान की स्कीम

iii) डोपिंग रोधी गतिविधियों के लिए सहायता की स्कीम

6.1 (ड.) प्रतिभागी खेलों से संबंधित स्कीम :

i) पायका ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धा घटक

ii) स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में खेलकूद का संवर्धन (तैयार की जा रही है)

iii) अशक्त व्यक्तियों में खेलों का संवर्धन

iv) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (गैर-योजनागत) ।

<u>स्कीम-वार संवीक्षा</u>

7. युवा कार्यक्रम विभाग :

7.1 नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)

7.1.1 **नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)** युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी निकाय है । नेहरू युवा केन्द्र संगठन के 501 केन्द्र, 28 मंडल कार्यालय तथा 3.05 लाख से अधिक गांवों में स्थित युवा क्लब हैं जिनमें लगभग 8 मिलियन स्वयंसेवकों को नामांकित किया गया है । चालू योजनावधि के दौरान, देश के शेष 122 नए जिलों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन को विस्तीर्ण करने का प्रस्ताव है । यह जमीनी वास्तविकता से जुड़ा एक विशालतम संगठन है । यह स्वयंसेवा-स्व-सहायता तथा सहभागिता के सिद्धांत पर 13-35 वर्ष की आयु समूह के युवाओं की शक्ति को दिशा प्रदान करता है।

7.1.2 नेहरू युवा केन्द्र संगठन के साथ नामांकित युवा क्लब खेल और साहस के माध्यम से शारीरिक विकास और नवीन विचारों तथा विकासात्मक रणनीतियों के लिए सुविचारित अवसरों के अलावा भी शिक्षा और प्रशिक्षण, जागरूकता संवर्धन, कौशल विकास तथा स्व-रोजगार, उद्यम संबंधी विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं । कार्यक्रम के कार्यान्वन के लिए प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र में जिला युवा समन्वयकों, स्वयंसेवकों तथा युवा नेताओं का प्रशिक्षित कैडर है।

7.1.3 नेहरू युवा केन्द्र संगठन अपने कार्य को अपने कार्यक्रमों की विभिन्न श्रेणियों अर्थात नियमित कार्यक्रमों, विशेष कार्यक्रमों तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों के सहयोग से कार्यक्रमों के द्वारा पूरा करता है । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा सौंपे गए कार्यक्रम/स्कीम नियमित कार्यक्रम हैं । भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों

के सहयोग से प्रारंभ किए गए कार्यक्रम/स्कीमें विशेष कार्यक्रम की श्रेणी में आते हैं । जबकि कुछ कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय निकायों के सौजन्य से भी कार्यान्वित किए जाते हैं। नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कुछ कार्यकमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(i) युवा जागरूकता अभियान

(ii) रोजगार की योग्यता के लिए युवाओं की क्षमता निर्माण

(iii) सीमावर्ती/आदिवासी/पिछड़े इलाकों में महिलाओं के लिए कौशल स्तरोन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी), युवा क्लबों को प्रोत्साहन और पुरस्कार

(iv) युवा क्लबों को प्रोत्साहन व पुरस्कार

(v) ब्लाक व जिला स्तरीय खेल टूर्नामेंट

(vi) जिला लोक सांस्कृतिक उत्सव

(vii) जिला लोक सांस्कृतिक (वैयक्तिक)

(viii) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों का आयोजन

(ix) जिला युवा सम्मेलन

(x) युवा शिविरों को सहायता-अनुदान

(xi) राष्ट्रीय एकीकरण

(xii) साहस शिविर

(xiii) युवा नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास ।

8 राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स :

8.1 राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स: मंत्रालय ने दो वर्तमान स्कीमों- राष्ट्रीय सेवा-स्वयंसेवक स्कीम (एनएसवीएस) तथा राष्ट्रीय सदभावना योजना (आरएसवाई) को मिलाकर एक नई स्कीम राष्ट्रीय युवा कार्प्स (एनवाईसी) प्रारंभ की है । स्कीम 18-25 वर्ष की आयु समूह के युवा पुरूषों तथा महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए दो वर्ष तक सेवा करने के लिए सक्षम बनाने का कार्य करेगी । स्कीम में 20,000 स्वयंसेवकों को नामांकित किया जाएगा जिनमें से जम्मू व कश्मीर में 8,000 तथा अन्य राज्यों में 12,000 स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा । यह स्कीम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) स्वायत्तशासी निकाय के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी ।

8.1.1 लक्ष्य :

(i) अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह बनाना जिनमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटने के प्रति झुकाव तथा भाव हो ।

(ii) व्यापक विकास (सामाजिक और आर्थिक दोनों) को अनुभव करने को सुगम बनाना

(iii) समाज में सूचना, बुनियादी ज्ञान के प्रसार के लिए प्वाइंट्स के रूप में कार्य करना

(iv) समूह आदर्श तथा प्रमुख समूह शिक्षकों के रूप में कार्य करना

(v) सार्वजनिक सदाचार, ईमानदारी और श्रम की महत्ता का विस्तार किए जाने के विशेष रूप में युवाओं को रोल मॉडल के रूप में कार्य करना

8.1.2 पात्रता : 18-25 वर्ष की आयु समूह में आने वाले युवा पुरूष और महिलाएं स्वयंसेवक बनने के लिए पात्र होंगे ।

8.1.3 शैक्षिक योग्यता : पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर राज्य जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों में दसवीं तथा इससे अधिक तथा अन्य राज्यों में 12वीं पास तथा इससे अधिक ।

8.1.4 मानदेय : स्वयंसेवकों को पहचानी गई गतिविधियों में दो वर्षों तक (इसमें प्रशिक्षण की अवधि भी शामिल है जो 4 सप्ताह की होगी) कार्य करने के लिए प्रतिमाह 2500/-रू० का मानदेय दिया जाएगा ।

8.1.5 प्रशिक्षण : स्वयंसेवकों को उनकी तैनाती की अंतिम तिमाही में माडयूलर रोजगार के आधार पर जम्मू व कश्मीर में लगाया जाएगा ।

8.1.6 स्कीम की शुरूआत : सचिव, युवा कार्यक्रम ने जम्मू व कश्मीर के अधिकारियों से वर्ष 2010-11 से प्रारंभ करने के लिए राज्य में स्कीम के संचालन पर विचार-विमर्श करने के लिए 27 जनवरी, 2010 को मुलाकात की।

9. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस):

9.1 **राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस):** राष्ट्रीय सेवा योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य स्कूल और कालेजों के युवा विद्यार्थियों में चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है | योजना राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है तथा विश्वविद्यालय/कालेज और उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर रासेयो का प्रचालन किया जाता है | रासेयो का लक्ष्य विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना को बढ़ाना है तथा गांवों व मलिन बस्तियों में लोगों के साथ काम करने के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध कराना है |

रासेयो के आदर्श वाक्य "मैं नहीं वरन आप" का अर्थ युवा विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्वयं सेवा और समाज सेवा की भावना उत्पन्न करनी है | योजना का लक्ष्य अपने दो संपर्क सूत्रों अर्थात "समुदाय से कैम्पस" "गांवों से कालेज" जिससे विद्यार्थियों की नेतृत्व गुणों तथा व्यक्तित्व विकास में भी सहायक है | राष्ट्रीय सेवा योजना की बुनियादी इकाई में स्कूल कालेज स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक (सामान्यतः प्रवक्ता) की अध्यक्षता में 50 से 100 स्वयंसेवक होते हैं | विश्वविद्यालय स्तर पर, रासेयो की देखरेख कार्यक्रम समन्वयक (पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रीडर) द्वारा की जाती है | राज्य सचिवालय में राज्य संपर्क प्रकोष्ठ रासेयो की संस्थाओं को समय पर अनुदान देने सहित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं | रासेयो के दो प्रकार के कार्क्रम हैं अर्थात (क) नियमित गतविधियां और (ख) विशेष शिविर कार्यक्रम :

क) **नियमित कार्यक्रमः** "नियमित गतिविधियों के तहत, वियार्थियों से सामुदायिक सेवा के लिए कम से कम प्रति वर्ष 120 दिन देते हुए दो वर्ष की निरन्तर अवधि के लिए स्वयंसेवक के रुप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है |

ख) **विशेष शिविर कार्यक्रम**: "विशेष शिविर कार्यक्रम" के तहत प्रत्येक वर्ष किसी भी "अंगीकृत गांव" में किसी भी विशेष विषयवस्तु पर 10 दिन की अवधि का शिविर आयोजित किया जाता है | मंत्रालय का रासेयो को 11 वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कवरेज के संबंध में विस्तृत करने का प्रस्ताव है तथा कार्यक्रम गतिविधियों में गुणात्मक सुधारों के द्वारा और अधिक प्रभावी सुधारों के द्वारा और अधिक प्रभावी बनाया गया | 2009-10 के दौरान, रासेयो की "नियमित गतिविधि" और "विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए लागत मानकों में यथानुपात वृद्धि का प्रस्ताव है |

9.2 **गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पूर्व शिविरः** एनएसएस स्वयंसेवक प्रत्येक वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं । मार्चिंग दल का चयन करने के लिए पूरे देश में पांच अलग-अलग स्थानों पर पांच गणतंत्र दिवस परेड पूर्व शिविर आयोजित किए जाते हैं । 1000 चयनित स्वयंसेवक तथा एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी इन शिविरों में भाग लेते हैं जिनमें से 200 स्वयंसेवकों का चयन दिल्ली में जनवरी में महीने भर की अवधि के गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने के लिए किया जाता है ।

10. **राष्ट्रीय युवा किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी):** राष्ट्रीय युवा किशोर विकास कार्यक्रम नामक योजना परियोजनाओं को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की क्षेत्र स्तरीय तथा संस्थानीकरण सहभागिता के लिए निधियों को उपलब्ध कराने में विलंब से बचते हुए, समान लक्ष्यों की अधिसंख्य योजनाओं की संख्या में कटौती करने के उद्देश्य से 10वीं योजनावधि के दौरान, युवा कार्यक्रम और खेल

मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान योजनाओं के विलय के द्वारा तैयार की जा रही है जिनके नाम हैं- युवा गतिविधियां और प्रशिक्षण का संवर्धन, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन और किशोरों का विकास और सशक्तिकरण जिसका उद्देश्य यह है कि समान उद्देश्यों वाली स्कीमों की बहुविधा को कम किया जा सके, वित्त पोषित पद्धति में तथा कार्यान्वयन तंत्र में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके और फील्ड स्तर के संगठनों को निधि की उपलब्धता में विलंब न हो तथा परियोजना बनाने तथा उसके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहभागिता निश्चित की जा सके | यद्यपि प्रचालन तंत्र और कार्यक्रम डिलीवरी में समानता और समाभिरूपता होगी फिर भी योजना के अंतर्गत प्रत्येक घटकों के वित्तीय पैरामीटर के संबंध में स्पष्ट अंतर होगा |

10.1 स्कीम परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) में माध्यम से परियोजना पद्धति के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है |

10.2 कार्यक्रमों के लक्षित लाभार्थियों का अर्थ राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त युवा नेटवर्क के तहत युवाओं और किशोरों से है |

10.3 अम्ब्रेला स्कीम में निम्नलिखित घटक हैं:-

(क) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास

(ख) राष्ट्रीय एकीकरण को संवर्धन

(ख. 1) राष्ट्रीय युवा महोत्सव

(ख. 2) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

(ग) साहस का संवर्धन

(ग. 1) तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार

(घ) किशोरों का विकास और रोजगार

(ड.) तकनीकी और संसाधन विकास

11. 1 **यूएनएफपीए द्वारा सहायता प्राप्त योजना:** यूएनएफपीए ने परियोजना के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को पृथक रूप से सहायता प्रदान की है जो स्वास्थ्य मंत्रालय आरसीएच परियोजना के लिए यूएनएफपीए के वित्त पोषण के बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है । इसका मुख्य उद्देश्य युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की किशोर विकास योजना को तर्कसंगत बनाने के सामर्थ्य का निर्माण करना है जिसमें मंत्रालय में किशोर प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है ।

11.2 प्रस्ताव है कि यूएनएफपीए के 7 वें देशीय कार्यक्रम (सीपी-7) के अंतर्गत यूएनएफपीए समर्थित परियोजना को जारी रखा जाए जो 2008-11 की अवधि के लिए होगा । अगले कार्यक्रम में जो 2008-11 के लिए तैयार किया जा रहा है, चल

रही गतिविधियों को जारी रखने और मजबूत बनाने के अलावा, विद्यमान ज़िलों में अधिक ब्लाकों तक परियोजना का विस्तार किया जाएगा तथा अतिरिक्त जिलों को भी कवर किया जाएगा ।

12.1 **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी):** राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसकी स्थापना मार्च 1993 में युवाओं से संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए की गई थी । यह संस्थान चेन्नई, तमिलनाडु से 40 किलोमीटर दूर श्रीपेरूम्बदूर में 42 एकड़ परिसर में कार्य कर रहा है तथा पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संगठन के रूप में यह संस्थान उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रमों को बनाने, विकसित करने और उन्हें आयोजित करने; अनुसंधान मूल्यांकनों और कार्यक्रम विकास परियोजनाओं का प्रायोजन, संवर्धन, संचालन करने ; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व सहायता प्राप्त युवाओं पर सभी अभिज्ञात प्रशिक्षण, अभिविन्यास तथा अनुसंधान केंद्रो के लिए एक उन्न्त केंद्र व शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए कार्यवाही फोरम है ।

12.2 संस्थान कम स्टाफ तथा केवल एक डिविजन के साथ कार्य कर रहा था परंतु अब चार नए डिविजन स्थापित किए गए हैं । आई टी के जरिए विश्वविद्यालय के साथ नेटवर्किंग प्रारंभ कर दी गई है । आडीटोरियम तथा पुस्तकालय के लिए नये भवनों के जरिए परिसर में सुधार किया जा रहा है । संस्थान में अब (1) प्रशिक्षण, अभिविन्यास तथा विस्तार डिविजन;(2) अनुसंधान, मूल्यांकन तथा प्रलेखीकरण प्रसार डिविजन; (3) पंचायती राज तथा युवा कार्य डिविजन (4) युवा विकास में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता डिविजन (5) सामाजिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता नामक डिविजन हैं ।

12.3 आरजीएनआइवाइडी को "समकक्ष विश्वविद्यालय के रुप में घोषित किया गया है तथा यह देश के युवाओं के लिए नीतिया तैयार करने में मील का पत्थर बन जाएगा।

13.1 **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश में युवाओं के भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं । इन छात्रावासों में हमारे युवाओं को उचित दर पर उत्तम आवास उपलब्ध कराया गया है । चूंकि इन छात्रावासों में कठोर अनुशासन और ठहरने के लिए टैरिफ सुनश्चित किए गए हैं और भोजन भी नयूनतम दर पर उलब्ध कराया गया है, इसलिए शैक्षणिक संस्थाएं/अभिभावक अपने बच्चों/युवाओं को रातभर ठहराने के

लिए इन छात्रावासों को प्राथमिकता देते हैं । युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है | केन्द्र सरकार निर्माण की लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार नि:शुल्क पूर्ण विकसित भूमि उपलब्ध कराती है | युवा छात्रावास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों, शैक्षिक केंद्र, पर्यटन महत्व के क्षेत्रों में स्थित है जहां युवा गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है । हमारे चालू 15 छात्रावास राज्यों की राजधानियों में हैं | 01 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 80 युवा छात्रावास निर्मित हो चुके हैं और 5 छात्रावास निर्माणाधीन हैं | युवा हास्टल की स्कीम की समीक्षा विभाग की स्थाई वित्त समिति द्वारा की गई है और युवा होस्टल की संरचना, डिजाइन तथा प्रबंध में परिवर्तन, नई कार्य योजना को ध्यान में रखकर किया जा रहा है ।

13.2 वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान तरणतारण, पंजाब में नए युवा छात्रावास का निर्माण पूरा कर लिया गया है 5 छात्रावास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं जबकि वर्तमान 20 (बीस) छात्रावासों की फेस लिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है |

14.1 **स्काउटिंग और गाइडिंग**: स्काउटिंग और गाइडिंग योजना जो एक केंद्रीय योजना है, देश में स्काउट्स और गाइड्स अभियान के संवर्धन के लिए 1980 के आरंभ में शुरू की गई थी । योजना के तहत स्काउट्स एवं गाइड्स को विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, कौशल विकास कार्यक्रम और जम्बूरियों के आयोजन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । अन्य बातों के साथ-साथ इन गतिविधियों में प्रौढ़ साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छता और सफाई के कार्यक्रम शामिल हैं |

14.2 भारत स्काउट्स और गाइड्स को विभिन्न स्काउट्स और गाइड्स गतिविधियों के संचालन के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है । वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, दिनांक 31-12-2009 तक उनके द्वारा 161 कार्यक्रम संचालित किए गए हैं तथा 2.00 करोड़ रू0 की संस्वीकृत राशि में से उन्हें 1.50 करोड़ रू0 दिए जा चुके हैं ।

15. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान)

15.1 **राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी)**: यह कार्यक्रम 1974 में अस्तित्व में आया जिसका समग्र प्रयोजन राष्ट्रमंडल में युवाओं के विकास का संवर्धन करना था | यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में युवाओं को प्रोत्साहन व समर्थन देता है और अंतर्राष्ट्रीय समझ की वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करता है | फिलहाल, तीन मुख्य नीतिगत क्षेत्र हैं जिन पर राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है | नामतः राष्ट्रीय युवा नीति, मानव संसाधन विकास और युवा अधिकारिता |

15.2 राष्ट्रमंडल सचिवालय के लिए चंडीगढ़ स्थित सीवाईपी एशिया केन्द्र, चार सीवाईपी क्षेत्र प्रतिष्ठानों में से एक है |सीवाईपी का समग्र दायित्व लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय का है | एशिया केन्द्र सहित सीवाईपी की गतिविधियां राष्ट्रमंडल सचिवालय की युवा कार्य इकाई द्वारा निर्देशित होती हैं | एशिया केन्द्र क्षेत्र के 7 राष्ट्रमंडल खेलों नामतः ब्रुनेइ दारुसलम, बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर तथा श्रीलंका की विशेष जरुरतों को पूरा करता है | कार्यक्रमों का वित्त पोषण सदस्य देशों तथा भारत द्वारा किया जाता है |

15.3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडल का आदान-प्रदानः

15.3.1 विभाग विभिन्न मुद्दों पर अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/संगठनों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सृजित करने के लिए प्रयास करता है | विभाग एशिया प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रमंडल देशों में युवाओं से संबंधित बहुत सी प्रतियोगिताओं के आयोजन में राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम एशिया केन्द्र, चंडीगढ़ से सहयोग करता है | राष्ट्रीय युवा नीति के उद्देश्यों की पृष्ठभूमि के सम्मुख, अन्य बातों के साथ-साथ युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को सृजित करने के लिए तथा शांति और समझ के संवर्धन में उनको शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा शिष्टमंडलों के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान को एक प्रभावी साधन माना गया है |

15.3.2 कार्यक्रम के अंतर्गत, मित्र देशों के साथ युवा शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान को विभिन्न देशों के युवाओं के बीच विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान-प्रदान के संवर्धन के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करने के लिए पारस्परिक आधार पर किया जाता है |

15. स्कीम-वार समीक्षा – खेल विभाग

16.1 खेल अवसंरचनाः

16.1.1 **पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)**: वर्ष 2008-09 में प्रारंभ की गई स्कीम, का लक्ष्य 10 वर्षों की अवधि में देश के सभी गांवों तथा ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना है | 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान संपूर्ण कार्यक्रम के लिए निधियों की कुल आवश्यकता का अनुमान लगभग 1, 500 करोड़ रु0 लगाया गया है | स्कीम के तहत, गांव/ब्लाक पंचायतों प्रत्येक को 1 लाख रु0/-5 लाख रु0 का एकमुश्त मूल अनुदान बुनियादी सुविधाओं सहित खेल का मैदान तैयार करने के लिए दिया जाता है | इसमें सामान्य राज्यों के लिए राज्य का हिस्सा 25 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 प्रतिशत है | इसके अलावा,

गांव पंचायतों को खेल उपकरण प्राप्त करने के लिए वार्षिक अधिग्रहण अनुदान दिए जाते हैं, 10,000 रु0 प्रतिवर्ष तथा 12,000 रु0 प्रतिवर्ष की दर से क्रमश: गैर-प्रतिस्पर्धा स्वरुप के कार्यात्मक व्यय के लिए वार्षिक कार्यात्मक अनुदान तथा ब्लाक पंचायतों को क्रमश: 20,000 रु0 तथा 24,000 रु0 की दर से दिए जाते हैं | योजना आयोग ने 11वीं योजनावधि के लिए 1500 करोड़ रु0 आबंटित किए हैं | 11वीं तथा 12वीं योजनावधि में संपूर्ण कार्यक्रम के लिए निधियों की कुल आवश्यकता का अनुमान लगभग 4,500 करोड़ रु0 लगाया गया है | वर्ष 2009-10 के दौरान बजट प्राक्कलन स्तर पर 160 करोड़ रू0 का आबंटन उपलब्ध कराया गया था जिसे संशोधित प्राक्कलन चरण में घटकार 135 करोड़ रू0 कर दिया गया । 1261 ग्राम पंचायतों व 53 ब्लाक पंचायतों को शामिल करते हुए 14.61 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी गई है । शेष निधियों को वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यों को संस्वीकृत की गई निधियां दूसरी किश्त को जारी करने के लिए उपभाग में लायी गई हैं ।

16.1.2 **शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना की स्कीम:** प्रस्तावित स्कीम का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना है तथा इस समय यह तैयार की जा रही है ।

17. खेल उत्कृष्टता

17.1 **राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना (एनएसएफ):** राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमों की सहभागिता, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन जिनमें विदेशी प्रशिक्षकों को अनुबंधित करना तथा उपस्कर सहायता शामिल है, के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है | विभिन्न घटकों के अंतर्गत अधिकारों का संशोधन किया जा रहा है जिनमें विभिन्न स्वामित्वधारियों की भूमिका की रुपरेखा, दीर्घावधिक विकास योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में उनकी जवाबदेही शामिल है | यह खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक तालिका में सुधार हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता करने के लिए मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम के रुप में कार्य करना जारी रखेगी |

17.2 **प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण की वर्तमान योजना:** अनुकूल प्रशिक्षण तथा उच्च प्रदर्शन वाले एथलीटों के प्रतियोगिता के अवसरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है |

17.3 **राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ):** केन्द्र द्वारा 1998 में स्थापित की गई थी जिसका उद्देश्य देश में खेलकूद के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा प्रमाणित समतुल्य

अनुदान सहित गैर-सरकारी स्रोतों से संसाधन एकत्रित करना था जिसमें निजी/निगमित क्षेत्र तथा अप्रवासी भारतीय शामिल हैं | निधि में अंशदानों को आकर्षित बनाने के लिए सभी अंशदानों पर आयकर से 100% छूट उपलब्ध है | हाल ही में बी.सी.सी.आई. ने निधि में 50.00 करोड़ रु0 अंशदान दिया है | मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार प्रत्येक ने एनएसडीएफ से हाकी खिलाड़ियों को सहायता देने के विशिष्ट उद्देश्य से एनएसडीएफ को 1 करोड़ रू0 के अंशदान दिए हैं । दिनांक 31-12-2009 की स्थिति के अनुसार निधियों में 63.70 करोड़ रू0 है ।

18. **खेल प्रोत्साहन**

18.1 **राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार** वर्ष 1991-92 में शुरु किया गया था | इस योजना के अंतर्गत वर्ष के सर्वाधिक उत्कृष्ट व शानदार खिलाड़ी को एक पदक के साथ 5 लाख रु0 का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है | सामान्यतः प्रति वर्ष केवल एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है | इस योजना के प्रारंभ होने के बाद 19 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है | तथापि, बीजिंग ओलंपिक, 2008 में, मुक्केबाजी में श्री विजेन्दर तथा कुश्ती में श्री सुशील कुमार, दोनों ही कांस्य पदक विजेता हैं, के शानदार खेल प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए श्रीमती एम0सी0 मैरीकाम के अलावा, इन दोनों को विशेष मामला मानते हुए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयन समिति की सिफारिश स्वीकर कर ली है ।

18.2 **अर्जुन पुरस्कार** 1961 में प्रारंभ किए गए थे तथा ये ऐसे खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले तीन वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो तथा नेतृत्व के गुणों, खिलाड़ी की भावना तथा अनुशासन की भावना प्रदर्शित की हो | पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मूर्ति, सम्मान पट्टिका, समारोह में पहने जाने वाले वस्त्र तथा 3.00 लाख रु0 का नकद पुरस्कार दिया जाता है | सामान्यतः एक वर्ष में 15 पुरस्कार दिए जा सकते हैं | अब तक विभिन्न खेल विधाओं के 694 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है | पुरस्कार प्राप्त करने वालों को पदक और 7.5 लाख रू0 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है । इसे 2009 के दौरान 5 लाख रू0 बढ़ाकर 7.5 लाख रू0 किया गया था । इस स्कीम के प्रारंभ होने के बाद 22 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

18.3 **खेलों में जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार** वर्ष 2002 से प्रारंभ किए गए थे | इन पुरस्कारों से ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल के क्षेत्र में योगदान दिया है तथा सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद भी खेलों के संवर्धन के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं | पुरस्कार में 3.00 लाख रु0 जिसे वर्ष 2009 के दौरान 3 लाख रू0 से बढ़ाकर 5 लाख रू0 कर

दिया गया, की नकद पुरस्कार राशि, एक प्लाक तथा सम्मान पट्टिका दी जाती है | अभी तक यह पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है |

18.4 **द्रोणाचार्य पुरस्कार** 1985 में प्रारंभ किए गए थे | इस पुरस्कार से ऐसे कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में राष्ट्रीय एथलीटों तथा टीमों को उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सहायता की हो | पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक मूर्ति, पट्टिका, वस्त्र तथा 3.00 लाख रु0 की नकद पुरस्कार राशि दी जाती है | एक वर्ष में सामान्यतः 5 पुरस्कार दिए जाते हैं | अभी तक 51 कोचों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है |

18.5 **राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार:** खिलाड़ियों और कोचों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा खेलों के विकास के लिए किए गए उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक नया पुरस्कार गठित किया है जिसकी चार श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं: सामुदायिक खेल विकास, खेल अकादमियों की उत्कृष्टता का संवर्धन, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को सहायता और खिलाड़ियों को रोजगार । हालांकि खिलाड़ियों को रोजगार तथा खेल कल्याण उपाय श्रेणी में रेलवे बोर्ड को, दो श्रेणियों अर्थात 'समुदाय खेल; उभरती हुई प्रतिभा को खोजना तथा पोषित करना' और 'उत्कृष्टता की खेल अकादमियों की स्थापना व प्रबंधन' में टाटा स्टील को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है ।

18.6 **अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं तथा उनके कोचों को विशेष पुरस्कार की योजना** वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी ताकि उच्च उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व अभिप्रेरित किया जा सके और खेलों को कैरियर के रुप में लेने के लिए युवा पीढ़ी को आकर्षित किया जा सके | योजना के अंतर्गत, मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों और उनके कोचों को तालिका के अनुसार विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:-

क्र0सं0	खेल/चैम्पियनशिप का नाम	राशि		
		स्वर्ण पदक/प्रथम स्थान	रजत पदक/ द्वितीय स्थान	कांस्य पदक/तृतीय स्थान
1.	ओलंपिक खेल	50 लाख रु0	30 लाख रु0	20 लाख रु0
2.	आधिकारिक विश्वकप/ एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल	10 लाख रु0	5 लाख रु0	3 लाख रु0
3.	एशियाई तथा राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	3.00 लाख रु0	2 लाख रु0	1.5 लाख रु0

नकद पुस्कार उन प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट से कम से कम 240 दिन पहले पदक विजेताओं को प्रशिक्षित किया हो | एक कोच को दी जाने वाली पुरस्कार

राशि प्रशिक्षित खिलाड़ी को दी गई पुरस्कार राशि का 50% है यदि, एक से अधिक कोच हैं, तो पुरस्कार राशि उनके बीच बराबर-बराबर वितरित कर दी जाती है |

18.7 **उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन की योजना:** यह योजना 1984 में प्रारंभ की गयी थी | योजना के अंतर्गत, वे खिलाड़ी, जो भारत के नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक प्राप्त किए हैं, 30 वर्ष की आय प्राप्त कर चुके हैं, सक्रिय खेल कैरियर से रिटायर हो चुके हैं, जीवन पेंशन के पात्र हैं जो जुलाई, 2008 में दोगुनी कर दी गई है | वर्तमान दर नीचे दी गयी है:-

क्र. सं0.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशनकी दर (रु0 प्रतिमाह)
1	ओलंपिक खेलों के पदक विजेता	10000
2	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिपों में स्वर्ण पदक विजेता	8000
3	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिपों में रजत तथा कांस्य पदक विजेता	7000
4	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता	7000
5	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों के रजत तथा कांस्य पदक विजेता	6000
6	पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता	5000
7	पैरालंपिक खेलों के रजत पदक विजेता	4000
8	पैरालंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता	3000

फिलहाल इस योजना के अंतर्गत 525 खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं |

18.8 **मौलाना अबुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी** : कालेज और विश्विद्यालयों में प्रतियोगी खेलों के संवर्धन हेतु अंतर विश्वविद्यालय खेल टूर्नामेंट में प्रथम आने वाले विश्वविद्यालय को 10 लाख रू0 की नकद राशि सहित मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी प्रदान की जाती है । दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने वाले विश्विद्यालयों को क्रमश: 5 लाख रू0 तथा 3 लाख रू0 का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है ।

18.9 **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि** मार्च, 1982 में स्थापित की गई थी जिसका उद्देश्य दरिद्र अवस्था में रहने वाले भूतपर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करना था | उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एकमुश्त अनुग्रह सहायता देने के लिए इस स्कीम को जुलाई, 2009 में समीक्षा की गई । पेंशन का प्रावधान हटा दिया गया क्योंकि मेरिटोरियस खिलाड़ियों के लिए पेंशन की स्कीम पहले से ही है । अब एकमुश्त अनुग्रह सहायता खिलाड़ियों अथवा उनके परिवारों को मेडिकल चिकित्सा के लिए दी जाएगी ।

19 सहभागिता

19.1 **पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका):** ग्रामीण खेल प्रतियोगिता घटक के अंतर्गत, ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रत्येक ब्लाक पंचायत को 50,000/-रु0 का वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान प्रदान किया जाता है तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले को 3 लाख रु0 प्रदान किए जाते हैं | इसके अलावा, ब्लाक स्तरीय तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेताओं (पहली तीन स्थितियों) को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है | राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए वित्त पोषण किया जाता है |

19.2 **अशक्तों में खेलों का संवर्धन:** मंत्रालय ने वर्ष 2009 के दौरान अशक्तों में खेलकूद के संवर्धन के लिए एक स्कीम तैयार की है । स्कीम का लक्ष्य अशक्तों में खेलों में भाग लेने के आधार को विस्तृत करना है । अशक्तों के लिए खेलकूद की स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं :-

(क) खेल कोचिंग और स्कूलों के लिए उपभोग तथा गैर-उपभोज्य खेल उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान ।

(ख) कोचों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान ।

(ग) अशक्तों के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए अनुदान ।

19.3 अशक्तों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए स्कीम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में लंबा समय लगेगा ।

19.4 **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (योजनेतर):** योजना विभिन्न खेल विधाओं में महिलाओं के लिए वार्षिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है |

20. **भारत सरकार के अधीन संगठनों को सहायता अनुदान:**

20.1.1 **डोप रोधी गतिविधियों के लिए सहायता की योजना:** इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) तथा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी गतिविधियों का संचालन कर सकें |

20.1.2 नाडा एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन है जो देश में खेलों में डोप नियंत्रण कार्यक्रम के संवर्धन, समन्वय और मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार है | नाडा के डोप रोधी नियम, विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) के डोप रोधी कोड के अनुरुप हैं | इन नियमों के अंतर्गत जैसी जरुरत है, विभिन्न समितियां अर्थात डोप रोधी अनुशासनात्मक पैनल,

डोप रोधी अपील पैनल तथा चिकित्सा प्रयोग से छूट संबंधी समिति 2009 में गठित की गई हैं और पूरी तरह से कार्यरत है |

20.2 नाडा ने नमूना एकत्र प्रक्रिया और सूचना के व्यापक प्रसार और डोपिंग के दुष्प्रभावों के बारे में एथलीटों और कोचों की शिक्षा को बड़े पैमाने पर लिया है |

20.3 एनडीटीएल, वाडा के निकट सहयोग तथा वाडा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के सहयोग से नमूनों के डोप परीक्षण तथा इस विषय पर उन्नत अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार हैं | अक्तूबर, 2006 से परिवीक्षा पर रहने के बाद एनडीटीएल ने सितम्बर, 2008 में वाडा का प्रत्यायन हासिल किया | वाडा, प्रयोगशाला विशेष द्वारा पास प्रवीणता परीक्षण के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक प्रयोगशाला प्रत्यायित करती है । वर्ष 2009 के लिए एनडीटीएल ने वाडा के पीटी राउण्ड में सफलतापूर्वक भाग लिया और एनडीटीएल के निष्पादन को वाडा द्वारा सराहा गया है । इसके अलावा उन्होंने 1.1.2010 से दिसंबर 2010 तक प्रत्यायन को बढ़ा भी दिया है । एनडीटीएल मई 2009 से अपने भवन में चला गया है ।

20.5.1 **भारतीय खेल प्राधिकरण:** भारतीय खेल प्राधिकरण एक पंजीकृत समिति के रुप में 1984 में स्थापित किया गया था | भारतीय खेल प्राधिकरण अपेक्षित अवसंरचना और उपस्कर, कोचिंग सुविधाएं, वैज्ञानिक समर्थन, पोषक आहार, और प्रतियोगिता में प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराकर सभी स्तरों पर प्रतिभा का पता लगाने और पोषित करने में लगा हुआ है | इसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से दिल्ली के पाँच स्टेडियमों, जिनका 1982 में नई दिल्ली में आयोजित नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्माण/नवीकरण किया गया था, के रखरखाव और उपयोग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है | भारतीय खेल प्राधिकरण के सामान्य निकाय की अध्यक्षता प्रधानमंत्री तथा शासी निकाय की अध्यक्षता खेल मंत्री करते हैं |

20.5.2 वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्टेडियमों का डा0 एम0एस0 गिल, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने उदघाटन किया :

(1) हॉकी प्रतियोगिता के लिए स्थल मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम-उदघाटन 24 जनवरी, 2010 को ।

(2) डा0 कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद – नवीकृत रेंज का उदघाटन 31 जनवरी, 2010 को किया गया ।

20.5.3 भारतीय खेल प्राधिकरण के छः क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो बंगलौर, गांधी नगर, चंडीगढ़, कोलकाता, इम्फाल, भोपाल और सोनीपत में स्थित हैं | इसके अलावा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला जो भारतीय खेल प्राधिकरण का शैक्षणिक खंड है, के

माध्यम से खेल कोचिंग और खेल औषधि में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आफर करता है तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, तिरुवनंतपुरम में शारीरिक शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

20.5.4 भारतीय खेल प्राधिकरण में, पूरे देश में, नियुक्त लगभग 1200 कोचों सहित लगभग 3000 कर्मचारी हैं।

20.5.5 **भा.खे.प्रा. योजनाओं का सार:**

20.5.6 खेल प्रतिभा का पता लगाने और उसका पोषण करने और देश में खेलों के संवर्धन हेतु भा.खे.प्रा. द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की संक्षिप्त रुपरेखा निम्नलिखित है:-

(क) **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी):** योजना का मुख्य उद्देश्य 8-14 वर्ष के आयु समूह के स्कूली बच्चों के बीच नैसर्गिक और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाना है।

(ख) **सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी):** यह सेना के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है, 8-14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना भारतीय सेना में रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में भी इसी प्रकार के प्रबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) **विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी):** यह योजना देश के जनजातीय, ग्रामीण तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों से आधुनिक प्रतियोगितात्मक खेलकूदों के लिए प्रतिभा का पता लगाने और उसका पोषण करने हेतु क्षेत्र विशिष्ट पहुंच का पालन करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य 14-21 वर्ष के आयु समूह में प्रतिभाशाली तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है।

(घ) **भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी):** योजना के अंतर्गत 14-21 वर्ष के आयु समूह में प्रतिभाशाली युवाओं को यह विकल्प दिया जाता है कि वे रिहायशी अथवा गैर-रिहायशी आधार पर योजना में शामिल हों।

(ङ) **उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स):** इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों का पता लगाना और उन्हें प्रशिक्षित करना है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए संभावित पदक विजेता हैं।

(च) इसके अतिरिक्त, भा.खे.प्रा. विशिष्ट एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रबंधन सहायता (टीम्स) प्रभाग के जरिए राष्ट्र खेल परिसंघों को अपनी दीर्घावधिक विकास

योजनाओं के समन्वय के द्वारा सहायता प्रदान करता है और सामान और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है | इस भूमिका में भा.खे.प्रा. मंत्रालय द्वारा इसको उपलब्ध करायी गयी निधि से बहुत सी गतिविधियां आयोजित कर रहा है |

21.1 **लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीइ), ग्वालियर:** यह संस्थान शारीरिक शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्ट्रेट डिग्री पाठ्यक्रम चला रहा है | यह विश्वविद्यालय भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई के शताब्दी वर्ष में 17 अगस्त, 1957 को एक कालेज के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान ग्वालियर में स्थित है । शारीरिक शिक्षा व खेल के क्षेत्र में संस्थान की सेवाओं को मान्यता देते हुए इसे 1995 में "समकक्ष विश्वविद्यालय" के रुप में अपग्रेड कर दिया गया । यह संस्थान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित है।

21.2 **उद्देश्य:**

(1) शारीरिक शिक्षा, खेल कूद और अन्य अंतर खेल विधात्मक विषय के क्षेत्र में उच्च योग्यता वाले शिक्षक तैयार करना;

(2) शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता व अभिनव केंद्र के रूप में कार्य करना तथा अनुसंधान को प्रारंभ करना, संवर्धन करना तथा प्रसार करना और इस क्षेत्र में साहित्य प्रकाशित करना;

(3) शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य संस्थानों को व्यावसायिक और शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना;

(4) इस क्षेत्र में लोगों को व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा प्लेसमेंट सर्विस देना;

(5) शारीरिक शिक्षा संबंधी गतिविधियों में जन सहभागिता को बढ़ावा देना |

21.3 **लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एनएनयूपीई) के पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्र** : 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अंग के रूप में तथा 100 दिन की कार्य योजना में शामिल मद के रूप में एलएनयूपीई, ग्वालियर का पूर्वोत्तर परिसर, चालू शैक्षिक वर्ष (अर्थात 2009-10) से अस्तित्व में आया है । गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिसर की स्थापना के लिए असम राज्य सरकार के साथ जब तक समझौता ज्ञापन का अनुमोदन नहीं हो जाता है, तब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र परिसर ने, ग्वालियर से काम करना शुरू कर दिया है जिसमें एकीकृत चार वर्षीय बी0एड (स्नातक उपाधि) के प्रथम वर्ष में 23 छात्र (23 पुरूष और 7 महिला) हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र के परिसर में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों के चयन का मानक और पद्धति वही है जो एलएनयूपीई के मुख्य

परिसर ग्वालियर में सीटों के चयन के लिए अपनाई जाती है । वे अगले शैक्षिक वर्ष से गुवाहाटी के अपने परिसर में जाएंगे । अगले चार वर्षों के अंदर इस कार्यक्रम की कुल संख्या प्रत्येक वर्ष में 50 छात्र की वृद्धि दर से 200 हो जाएगी ।

22.1 **राष्ट्रमंडल खेल, 2010** : राष्ट्रमंडल खेल एक मेगा खेल प्रतियोगिता है जिसमें लगभग 71 देश लगभग 17 खेल विधाओं में भाग लेते है । इसके अलावा, प्रतिष्ठित अशक्त एथलीटों के लिए प्रतियोगिताएं चार उप विधाओं अर्थात एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, तैराकी और टेबल टेनिस के लिए होंगी । इस श्रेणी के अंतर्गत के पदक भी भाग लेने वाले देश के समग्र पदकों में शामिल है ।

22.2 सीडब्ल्यूजी 2010 की 17 विधाओं के लिए अधिकांश 'प्रतिस्पर्धा स्थलों' और 'प्रशिक्षण-स्थलों' का निर्माण/स्तरोन्नयन पूरा होने के अंतिम चरण में है । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वेब आधारित निगरानी प्रणाली पर समय मानिटर योग्य पैरामीटर की निगरानी की जा रही है । सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां लगातार कार्य कर रही हैं और प्रगति की सघन निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके ताकि खेलों के संचालन से जुड़ी गतिविधियां खेलों के काफी पहले पूरी की जा सकें ।

22.3 आयोजन समिति (ओसी), खेलों के सफलतापूर्वक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है । सरकार ने आयोजन समिति (ओसी) को ऋण के रूप में 1620.00 करोड़ रू0 संशोधित अनुमान और ओसी के कार्य में पारदर्शिता, व्यय का औचित्य तथा सार्वजनिक वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उन्हें सलाह दी है कि वे स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) गठित करके अपने संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करें । एक वित्त समिति भी गठित की गई है जिसमें सचिव, शहरी विकास, सचिव (खेल), विशेष सचिव (वित्त) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ओसी), सीडब्ल्यूजी हैं । नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) भी ओसी के लेखों की समवर्ती परीक्षा कर रहे हैं । ओसी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है ताकि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और सामान्य जनता को सूचना लेने में आसानी हो ।

22.4 सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार किए जाने हेतु 'सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी' नाम से एक स्कीम पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है । इस स्कीम के अंतर्गत भारत और विदेश दोनों में वृहत और सघन प्रशिक्षण और प्रदर्शन का अवसर प्रतिष्ठित खिलाड़ियों (पदक संभावित) को पूरे वैज्ञानिक एवं मेडिकल बैक-अप सुविधाओं सहित उपलब्ध कराया जा रहा है ।

22.5 शहरी अवसंरचना तथा नागरिक सुविधाओं का विकास और स्तरोन्नयन कार्य भी समुचित रूप से शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खिलाड़ी और पर्यटक कोई असुविधा न महसूस करें और देश की एक सकारात्मक छवि लेकर वापस जाएं । खेलों के दौरान तथा ओसी द्वारा खेलों के संचालन के दौरान स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधा, होटल आवास का विस्तार, परिवहन एवं संचार, सुरक्षा प्रबंध में सुधार से संबंधित कार्य भी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है ।

******

अध्याय II

वित्तीय परिव्यय 2010-11

अध्याय II

वित्तीय परिव्यय 2010-11

1 बजट अनुमान 2009-10 और संशोधित अनुमान 2009-10 और बजट अनुमान 2010-11 निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गये हैं:

बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2009-10 और बजट अनुमान 2010-11 को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2009-10		संशोधित अनुमान 2009-10		बजट अनुमान 2010-11	
	युवा कार्यक्रम विभाग	**योजनागत**	**योजनेतर**	**योजनागत**	**योजनेतर**	**योजनागत**	**योजनेतर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
क.	युवा कल्याण स्कीम						
1	राष्ट्रीय सेवा स्कीम	86.00	7.00	86.00	7.00	76.00	6.87
2	नेहरू युवा केंद्र संगठन	70.00	32.00	70.00	32.00	82.00	29.50
3	राष्ट्रीय विधा स्कीम	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	2.67
4	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	0.90
5	राष्ट्रीय युवा कार्प्स (राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम)	28.60	0.00	28.60	0.00	52.25	0.00
6	युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	22.55	0.50	22.55	0.50	22.25	0.50
7.	युवा हास्टेल	3.25	0.00	3.25	0.00	4.00	0.00
8.	स्काउटिंग और गाइडिंग	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
9.	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंण्डल का आदान प्रदान	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00
10.	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम	0.18	0.85	0.18	0.85	0.18	0.85
11.	यूएनवी काय्रक्रमों के लिए अंशदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
12.	राष्ट्रीय फिटनेस कार्प्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल युवा कल्याण स्कीमें	**225.90**	**45.12**	**225.90**	**45.12**	**252.00**	**41.39**

बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2009-010 बजट अनुमान 2010-11 को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2009-010		संशोधित अनुमान 2009-010		बजट अनुमान 2010-11	
	खेल विभाग	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ख	खेल और शारीरिक शिक्षा						
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण	138.00	38.00	167.87	48.60	287.00	37.00
2.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	23.00	7.00	23.00	10.32	27.00	6.30
3.	खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन						
3.1	पुरस्कार	4.00	0.00	4.50	0.00	9.00	0.00
3.2	मेरिटोरियस पेंशन	4.50	0.00	6.00	4.00	6.50	0.00
4.	खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता						
4.2	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम	3.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00
5.	अशक्तों के बीच खेलों का संवर्धन	5.0	0.00	2.00	0.00	8.52	0.00
6.	स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों में खेल कूद के संवर्धन के लिए अनुदान	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	राष्ट्रमण्डल खेल 2010	**2000.00**	**264.42**	**2268.00**	**615.00**	**1454.98**	**614.54**
8.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
9.	अर्जुन पुरस्कार और	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10
10.	ध्यानचंद पुरस्कार	0.00	0.10	0.00	1.10	0.00	0.20
11.	द्रोणाचार्य पुरस्कार	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
12.	एन सी सी / पब्लिक आवासीय स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षाअनुदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
13.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
14.	पंचाट के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03

15.	डोपिंगरोधी गतिविधियां	16.75	0.00	15.50	0.00	15.00	0.00
16.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	14.25	0.00	7.13	0.00	15.00	0.00
17.	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	145.50	0.00	125.00	0.00	379.00	0.00
18.	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (पूर्व नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)	4.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
	कुल खेल और शारीरिक शिक्षा	**2403.00**	**316.27**	**2671.00**	**679.67**	**2453.00**	**664.69**
ग	अन्य कार्यक्रम						
1.	सेमिनार , समितियों की बैठकों पर खर्च	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42
	कुल: अन्य कार्यक्रम	**0.00**	**0.73**	**0.00**	**0.68**	**0.00**	**0.42**
घ	**सचिवालयी सामाजिक सेवा**	**0.00**	**12.19**	**0.00**	**13.79**	**0.00**	**14.50**
ङ.	**पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए प्रावधान**	**70.10**	**0.00**	**70.10**	**0.00**	**139.00**	**0.00**
	कुल योग :	**2699.00**	**374.0**	**2967.00**	**739.00**	**2844.00**	**721.00**

2 उपर्युक्त टेबल में दर्शायी गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परियोजित डिलीवरेंस और आउटकम अनुबंध-II में दिए गए हैं ।

****

अध्याय –III

सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

अध्याय –III

सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

युवा कार्य विभागः

1. वर्ष 2007-08 11 वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का वर्ष है । इस संदर्भ में योजना के दौरान कार्यान्वित की गई योजना की व्यापक समीक्षा योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्य कार्यकारी समूह द्वारा की गयी थीं । समीक्षा के आधार पर, विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में ध्यान दिए जाने वाले कुछ पक्ष योजनावार समीक्षा में अध्याय-1 में संक्षिप्त रूप में दी गई है । इसको ध्यान में रखते हुए, 11 वीं योजना में लिए जाने वाले, प्रस्तावित महत्वपूर्ण उपाय तथा पहल निम्नलिखित पैरा में संक्षिप्त रूप दिए गए हैं ।

2 **राष्ट्रीय सेवा योजना :**

2.1 वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल शुरू/चालू की गई है :-

(क) नई केन्द्रीय वित्त पोषित योजना का प्रारंभ-अर्थात 400 स्वयंसेवकों के लिए गए मेगा ग्रीष्म शिविर तथा 1000 एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए साहस शिविर;

(ख) भर्ती नियमों में संशोधन करके, एक वर्ष से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरकर/पदों को पुनर्जीवित करके एनएसएस के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करना और उसे सुदृढ़ करना ।

(ग) टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोसल साइंसेस (टीआईएसएस) द्वारा तैयार किया गया 'भारत में एनएसएस का मूल्यांकन अध्ययन' से प्राप्त सिफारिशों को कार्यान्वित करना;

(घ) एनएसएस के लिए लागत मानदंड में वृद्धि करने तथा वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन करने के लिए ईएफसी नोट तैयार करना ।

3 **युवा तथा किशोरों का विकास**

3.1 युवा (13-35 वर्ष) तथा किशोरों (10-19 वर्ष) की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 45% से ज्यादा है, जबकि 35 वर्ष से कम आयु के लोग जनसंख्या का 70% है । ये लक्षण व्यापक रूप से "अवसर की खिड़की" के रूप में देखे गए हैं जो अगले कुछ दशकों में "डेमोग्राफिक विभाजक" समाप्त करने के योग्य हो जाएंगे । परंतु ये हमारे युवा लोगों के स्वस्थ तथा उत्पादनकारी विकास को सुनिश्चित करने के लिए

व्यापक और व्यवस्थित उपाय स्थान पर रखने की शीघ्रता को प्रकाशित व रेखांकित करते हैं । यह माना गया है कि इसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देश बड़ी संख्या में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रमों में से आएंगे । अतः इसको ध्यान में रखते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पहुंच रणनीति तथा कार्यक्रम/पहलू देखे गए हैं और तैयार किए गए हैं ।

3.2 इस पृष्ठभूमि में ध्यान केंद्रित किए जाने वाले मुख्य क्षेत्र जिनका पता लगाया है, वे हैं व्यक्तित्व विकास, रोजगार क्षमता के संदर्भ में कार्य सहभागिता अथवा क्षमता निर्माण की तैयारी तथा अधिकारिता, योजनाओं के निर्माण व कार्यान्वयान की प्रक्रिया में युवा सहभागिता के लिए क्षमता तथा संस्था निर्माण के संदर्भ में, सिविल सहभागिता के अन्य क्षेत्र तथा जिम्मेदार नागरिकों के रूप में युवा विकास । इस संकलनात्मक ढांचे को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं की समीक्षा की गई है जिसके आधार पर कुछ वर्तमान स्कीमों को रिओरिएंटल करना प्रस्तावित है, तथा पता लगाए गए अंतर तथा कमियों के आधार पर नई पहल/योजनाएं लाना प्रस्तावित है ।

मोटे तौर पर इन्हें नीचे दिया जा रहा है:-

(i) ने0यु0के0सं0 के नियमित कार्यक्रम मुख्यतः युवा क्लबों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने प्रस्तावित है जिसके साथ युवा क्लबों को सुदृढ़ और सक्रिय करने के लिए कार्रवाई की जानी है ।

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित यह स्कीम और राष्ट्रीय सदभावना योजना के अंतर्गत नेहरू युवा साथी को जिला और उप जिला स्तरों पर व्यापक युवा नेटवर्क के एक अंग के रूप में पुनर्विन्यास किया जाना प्रस्तावित है । इसके साथ मानदेय के स्तर में परिवर्तन करना भी प्रस्तावित है

(iii) जिला और ब्लाक स्तरों पर युवा विकास केंद्रों से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकारों तथा उपर्युक्त युवा नेटवर्क के साथ जोड़ कर निकट समन्वय से (भूमि व अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान करके) कार्यान्वित करना प्रस्तावित है ।

(iv) जिला केंद्रों द्वारा ने0यु0के0सं0 के द्वारा चलाई जा रही कोर गतिविधियों में मुख्य ध्यान रोजगार प्रदान करने, विशेष रूप से स्वरोजगार, सम्बद्ध कौशल और क्षमताओं, कार्य शिविर जिसका मुख्य ध्यान सफाई और स्वच्छता, राष्ट्रीय एकीकरण आदि पर हो, पर दिया जाएगा ।

(v) एक चरणबद्ध प्रक्रिया में एनएसएस का विस्तार करना प्रस्तावित है । उन विश्वविद्यालयों, कालेजों और + 2 स्कूलों के कवरेज को प्राथमिकता दी जाएगी

जिन्हें अभी कवर नहीं किया गया है । वित्तीय पैटर्न और लागत मानकों में परिवर्तन भी प्रस्तावित है जिससे इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और निधियों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके ।

(vi) किशोरों के विकास हेतु वित्तीय सहायता की मौजूदा योजना का पर्याप्त रूप से पुनः अभिमुखीकरण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें जीवन कौशल शिक्षा के निश्चित तत्व/उप कार्यक्रम, जीविका मार्गदर्शन , और नागरिक व विकास गतिविधियों में युवाओं की सहभागिता शामिल की जाएगी ।

(vii) किशोर स्वास्थ्य से संबंधित योजना 'यूथ युनिट विक्ट्री ऑवर एड्स' (युवा) को 10 वीं योजना के अंतिम वर्ष में तैयार किया गया और इसे विभिन्न युवा संगठनों जैसे ने0यु0के0सं0, रा0से0यो0, एनसीसी, भारत स्काउट्स एंड गाईड, युवा रेड क्रास युवा छात्रावास संघ भारतीय विश्वविद्यालय संघ आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता रहेगा । इसके साथ यूएनपीएफए द्वारा वित्तपोषित किशोर स्वास्थ्य परियोजना को पुनः अभिमुखीकरण करके जारी रखा जाएगा।

(viii) समीक्षा में पाई गई समस्याओं को देखते हुए युवा छात्रावास योजना को भारतीय युवा छात्रावास संघ के परामर्श से बदलने का भी प्रस्ताव है ।

(ix) जहां कहीं आवश्यक हो अन्य विभागों के साथ समाभिरूपता ।

3.3 इन अनुशंसाओं तथा राष्ट्रीय युवा आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में एक नई अम्ब्रेला योजना नामतः युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम |

4 नेहरू युवा केन्द्र संगठन

4.1 नेहरु युवा केन्द्र संगठन के नियमित कार्यक्रमों को युवा क्लबों को सुदृढ़ और सुदृढ़ करने से सतत कार्रवाई करके कार्यान्वित किया जाता है । राष्ट्रीय सदभावना योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा कार्प्स स्वयंसेवकों को मानदेय के स्तरों में परिवर्तन सहित जिला और उप-जिला स्तरों पर व्यापक युवा नेटवर्क का एक हिस्सा बनाने, उनका अभिमुखीकरण किया जाना प्रस्तावित है ।

4.2 जिला तथा ब्लाक स्तरों पर युवा विकास केन्द्रों से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार के निकट समन्वय से (भूमि और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था के द्वारा) कार्यान्वित किया जाता है और युवा नेटवर्क में भी एकीकृत किया है |

4.3 नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा जिला केन्द्रों के माध्यम से चलायी जाने वाली मुख्य गतिविधियों में मुख्य ध्यान रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रमों, विशेषतया स्व-

रोजगार, संबंधित कौशल और क्षमताओं पर होगा जो स्वच्छता और सफाई, राष्ट्रीय एकीकरण आदि के मुख्य विषय पर केन्द्रित करके कार्य शिविर आयोजित करने के अतिरिक्त होगा |

5 **युवा होस्टल :** स्थाई वित्त समिति द्वारा समीक्षा करके युवा होस्टल स्कीम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं । युवा होस्टलों में विस्तर-क्षमता, उपयोग, प्रबंधन ढांचा तथा स्टाफ की व्यवस्था में परिवर्तन किए गए हैं ताकि युवा होस्टलों के जरिए युवा विकास में एक नया युग लाया जा सके । अच्छे निष्पादन वाले युवा होस्टलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और खराब प्रदर्शन वाले युवा होस्टलों को टाला जा रहा है।

6. खेल और शारीरिक शिक्षा

6.1 प्रतियोगी खेलों के क्षेत्र में, विभिन्न खेल विधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की होती है जो पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय हैं | तथापि, जैसाकि पूर्व में अध्याय-1 में उल्लिखित है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता दे रही है | एनएसएफ के स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे बने हुए हैं तथा यह भी महसूस किया गया कि राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के विस्तार तथा सुधार/व्यवस्थित करने के साथ-साथ भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से किए जा रहे संबद्ध/सहायक प्रबंधों को सुदृढ़ करने की काफी गुंजाइश है |

6.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, खेलों के व्यापक आधार के पूरे क्षेत्र में काफी जोर दिया जाना प्रस्तावित है तथा "पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान" नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसका उद्देश्य ग्राम तथा ब्लाक स्तरों पर बुनियादी अवसंरचना का सृजन करके तथा विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगी खेल विधाओं की संरचना का विकास करके, युवाओं के बृहत वर्गों की संगठित खेलकूद तक पहुंच प्रदान करना है | इसके साथ ही, स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर मानव संसाधन विकास के समन्वय से ज्यादा बल देना भी प्रस्तावित है |

6.3 खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर प्रतिभा का पता लगाने की व्यवस्थित प्रणाली इजाद करने पर तथा ओलंपिक खेल विधाओं एवं पता लगाए गए देशज खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पूल काफी बढ़ाने पर; सभी स्वामित्वधारियों नामतः भा.खे.प्रा., राज्य सरकारें तथा एनएसएफ सहित एकीकृत फेमवर्क में प्रतिभा के प्रशिक्षण और तैयारी की व्यवस्था के लिए अवसंरचना को स्थापित/सुदृढ़ करने;

मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से कोचिंग के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने; तथा खेलों एवं खिलाड़ियों के विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रणालियों और सुविधाओं पर बल देना है |

6.4 जैसा कि पहले ही अध्याय-1 में वर्णित है, वर्ष 2009-10 से अशक्त व्यक्तियों में खेलों के संवर्धन की योजना प्रारंभ की गई है जिसमें शारीरिक तथा बौद्धिक रुप से अक्षम तथा अन्य अक्षम वर्गों पर जोर दिया जाएगा | इस योजना में लक्षित समूहों की विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा | जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा आवश्यकता के आधार पर अन्य सहायता दी जाएगी । यह योजना अशक्तों को समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगी ।

7 **एशियाई खेल, 2010 के लिए भारतीय दल की तैयारी** : उन सभी राष्ट्रीय विधाओं में, जिनमें देश को एशियाई खेल, 2010 में प्रतिभागिता के लिए अपेक्षित होगा, एक समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए भारतीय टीम की तैयारी की स्कीम के मानदंडों को राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के लिए ऐसी खेल विधाओं को सहायता के लिए सीलिंग के रूप में अपनाया जाए । इस प्रयोजन के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद कार्य योजना तैयार कर ली गई है । इस प्रकार निम्नलिखित व्यय की मदों के लिए सरकार बढ़ी हुई सहायता प्रदान कर रही है : (क) कोचिंग शिविर (ख) उपस्कर (ग) भारतीय कोचों, विदेशी कोचों और सहायका कार्मिकों की नियुक्ति (घ) अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागिता प्रतिस्पर्धा (ड.) भारत में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन ।

8.1 **राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के रिकार्डों का प्रबंधन- एनएफएस की वार्षिक मान्यता का मुद्दा** : सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के आधार पर एनएसएफ की वार्षिक मान्यता की प्रणाली शुरू की है । 2010 से शुरू की गई इस प्रणाली के अंतर्गत सभी एनएसएफ को पहली बार में अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र, एशियाई और अंतरराष्ट्रीय परिसंघों से प्रत्यायन पत्र, पदाधिकारियों के नाम और पते राज्य संबद्धता और उनके पदाधिकारियों के ब्यौरे, गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखे, संचालित चैंपियनशिप के ब्यौरे, चयन मानदंड, चयन समिति के कंपोजीन एवं तकनीकी अधिकारियों के ब्यौरे जैसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा । एक बार वार्षिक मान्यता

प्रदान किए जाने के बाद परिसंघों को उन्हें अपने-आप नवीकरण हो जाने के लिए प्रतिवर्ष सीमित संख्या में दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा ।

8.2 मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई प्रक्रिया का प्रत्युत्तर काफी उत्साहजनक रहा है । अभी तक 53 एनएसएफ ने वार्षिक मान्यता के लिए आवेदन किया है । इसमें से 39 को वार्षिक मान्यता के लिए अर्हक पाया गया है । इनमें से 33 ने सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है और 2010 के कलैण्डर वर्ष के लिए वार्षिक मान्यता प्रदान कर दी गई है और 6 परिसंघों, जिन्होंने अपेक्षाओं को आंशिक रूप से पूरा किया है, को अस्थाई मान्यता दी गई है ।

8.3 **आयु संबंधी धोखाधड़ी के रोकने के उपाय:** एथलीटों द्वारा की गई आयु संबंधी धोखाधड़ी की घटनाओं को ध्यान में रखकर और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोकने का समुचित उपाय उसी प्रकार करें जैसा डोप रोधी उपायों में किया जाता है क्योंकि दोनों ही जालसाजी की तरह हैं जो कि खेल की मूल भावना का उल्लंघन है । अतः राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए यह आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय एथलीटों को पहचान पत्र जारी करें; आयु के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में तथा संदेह की स्थिति में सत्यापन और उसके लिए अपील के संबंध में एक स्पष्ट नीति बनाएं ।

9 **राष्ट्रमंडल खेल 2010 के अंतर्गत लीगेसी प्लान के अंग के रूप में सामुदायिक खेल सुविधाओं की स्थापना :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्कूलों, कालेजों और सरकार प्रबंधित खेल संस्थाओं में सामुदायिक खेल सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 की लीगेसी प्लान के अंतर्गत 15 करोड़ रू0 निर्धारित किया है । निर्धारित धनराशि का उपयोग दिल्ली में तथा दिल्ली के आस-पास केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 10 स्कूलों, नवोदय विद्यालय समिति के 2 स्कूलों, दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के 13 कालेजों, 10 गृह कल्याण केन्द्रों और 2 खेल परिसरों में खेल अवसंरचना के सृजन/स्तरोन्नयन के लिए किया जाएगा । इन सुविधाओं में टेनिस, बास्केटबाल कोर्ट, हाकी फील्ड की सिंथेटिक सतह बिछाना शामिल है । सभी लाभग्राही संगठनों/संस्थाओं ने इन परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए समुचित कार्रवाई शुरू कर दी है ।

10 **एक कालेज एक खेल संकल्पना के लिए डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को सहायता :** मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि से 'एक कालेज-एक खेल' परियोजना की संकल्पना पर

पायनियर परियोजना के रूप में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को 2.27 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है । सृजित की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का उपयोग कोचिंग कार्यक्रम तथा खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित करने के लिए किया जाएगा और मंत्रालय की धनराशि से सृजित सुविधाओं की पहुंच संबद्ध कालेजों के छात्रों के अलावा सामान्य पब्लिक तथा पड़ोसी क्षेत्रों के स्थानीय खिलाड़ियों के लिए भी होगी । सुविधाओं के अनुरक्षण पर व्यय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्रोतों से सृजित अंशदानों से पूरा किया जाएगा ।

11 **पीपीपी मोड पर साई स्टेडिया की लीगेसी प्लानिंग के लिए ट्रांजेक्शन सलाहकार:** सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए सृजित की जा रही खेल अवसंरचना खेलों के समाप्त होने के बाद समुचित उपयोग के लिए साई ने 84 लाख रू0 की लागत से मेसर्स फीडबैक वेन्चरस प्रा0लि0 को ट्रांजैक्शन सलाहकार के रूप में निम्नलिखित पर सलाह देने के लिए प्राइवेट पार्टनर (कंसेसनायर) की पहचान करने में साई को सहायता के लिए नियुक्त किया है :

(1) दिल्ली में साई स्टेडिया में उत्तरोत्तर स्तरोन्नयन करना और राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना;

(2) खेलों के दौरान प्रचालन के लिए रूपरेखा बनाना और

(3) खेल अवधि के बाद की अवधि के दौरान राजस्व की हिस्सेदारी पर अभिनिर्धारित स्थानों का वाणिज्यिक दोहन करके स्टेडिया के अनुरक्षण के लिए।

12.1 **साई स्कीमों को औचित्यपूर्ण बनाना:** वर्तमान साई स्कीमों-अर्थात राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा (एनएसटीसी), सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी), साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी), विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी), व्यापक कवरेज के लिए एसटीसी/एसएजी का विस्तार तथा उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए संयुक्त सचिव (खेल) की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की गई है और इस समिति में वर्तमान स्कीमों की समीक्षा और उन्हें और अधिक सुदृढ़ तथा औचित्यपूर्ण बनाने के लिए सचिव, साई, निदेशक (प्रचालन), साई, परामर्शदाता, पायका और निदेशक (समन्वय), साई हैं ।

12.2 **साई में कोचों की नियुक्ति:** भारतीय खेल प्राधिकरण में कोचों की बहुत कमी रही है क्योंकि 1998 से कोचों की कोई भर्ती नहीं हुई है । चूंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार नियमित कोचों की नियुक्ति में बहुत अधिक समय लग सकता था और आगामी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं

अर्थात राष्ट्रमंडल खेल 2010, एशियाई खेल 2010 और लंदन ओलंपिक 2012 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कोचों की आवश्यकता अतिशीघ्र है, इसलिए मंत्रालय ने संविदा के आधार पर 100 कोचों को तत्काल नियुक्त करने के लिए साई को अनुमोदन प्रदान कर दिया ।

13. **माका ट्राफी पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना:** मंत्रालय ने अंतरविश्वविद्यालयी खेलों में अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाने तथा डोप मुक्त खेल संस्कृति के संवर्धन के लिए दिनांक 2-12-2009 को मौलाना अबुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी देने के संबंध में चयन प्रक्रिया संबंशी दिशा-निर्देशों को संशोधित कर दिया है । संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं हैं:- अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं/टूर्नामेंटों के लिए अंकों को यथोचित महत्व देते हुए प्राथमिकता बनाने के आधार पर अंकन प्रणाली और प्रतिस्पर्धा-स्तर को युक्तिसंगत बनाना; गलत दावों और झूठी शिकायतों के लिए ऋणात्मक अंक; नाडा डोपिंग-रोधी कोड को लागू करना और डोपिंग पाजिटिव पाए गए एथलीटों को अंकों का दंड लगाना; केवल उन्हीं विधाओं को शामिल करना जिनके एनएसएफ को आईओए द्वारा अथवा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो; माका ट्राफी के लिए ठीक समय पर संवीक्षा समिति द्वारा आवेदनों की संवीक्षा और अंकों को आन-लाइन करना; माका ट्राफी के लिए खेल मंत्रालय-वार चयन समिति का गठन जैसा कि अन्य राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में किया जाता है; टूर्नामेंटों की अंतिम सूची में कुछ बढ़ाने या निकाल देने, जिसमें माका ट्राफी चयन के प्रयोजन से विचार किए गए अंतरविश्वविद्यालयी टूर्नामेंट भी शामिल हैं, के मामले में खेल मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होना; विजेता विश्वविद्यालय को अपने पास रखने के लिए माका ट्राफी की लघु प्रतिकृति प्रस्तुत करना आदि ।

14 **विलंब से बचने के लिए विशेष नकद पुरस्कार के लिए प्रक्रिया में संशोधन :** अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं तथा उनके कोचों को विशेष नकद पुरस्कार की स्कीम की समीक्षा, पदक विजेताओं को नकद पुरसकर की स्वीकृति में विशेषकर विलंब न होने देने के संदर्भ में की गई । इससे पहले पूर्ववर्ती वर्ष में जीते गए पदकों के लिए वर्ष में एक ही बार मंत्रालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाता था । अब आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है ताकि समय से स्वीकृति और नकद पुरस्कार जारी किया जा सके । संशोधित अनुदेश अगस्त, 2009 में जारी किए गए थे । अब संबंधित परिसंघ, नकद पुरस्कार के लिए आवेदन संबद्ध खेल प्रतियोगिता के पूरा होने के एक महीने के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं । इसके अलावा, पदक विजेताओं की उपलब्धियों का सत्यापन, मंत्रालय में ही विभागीय समिति की बैठक में किया जाएगा और उसी बैठक में साई के प्रतिनिधि उपलब्धियों का सत्यापन करेंगे ।

15.1 **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्कीम की समीक्षा :** खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्कीमी की समीक्षा जुलाई 2009 में की गई है ताकि ऐसे पुराने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एकमुश्त अनुग्रह सहायता दी जाए जिन्होंने राष्ट्र के लिए गौरव प्रदान किया किंतु अब दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं । पेंशन का प्रावधान हटा लिया गया क्योंकि मेरिटोरियस खिलाड़ियों के लिए पेंशन की स्कीम पहले से ही है । अब एकमुश्त अनुग्रह सहायता खिलाड़ियों अथवा उनके परिवारों को चिकित्सा आदि के लिए दी जाएगी ।

******

अध्याय IV

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए योजनागत स्कीमों की वर्षवार निष्पादन समीक्षा

अध्याय IV

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए योजनागत स्कीमों की वर्षवार निष्पादन समीक्षा

(लाख रूपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2008-09 की निष्पादन समीक्षा				वर्ष 2009-10 की निष्पादन समीक्षा			
		वित्तीय		निष्पादन		वित्तीय		निष्पादन	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	**युवा कार्य विभाग:** राष्ट्रीय सेवा योजना i) नामांकित स्वयंसेवक ii) विशेष शिविर- iii) अपनाए गए गांव	- - -	- - -	3257104 13310 13310	2710050 18215 22228	- -	- -	3257104 13310 13310	3084100 11974* 11974* * 31.1.10 तक
2.	नेहरु युवा केन्द्र	50688.00	5068.00	-	-	7900.00	7900.00	-	-
3.	राष्ट्रीय विधा स्कीम	0.00	0.00			0.00	0.00		
4.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना	1088.00	1255.00	7100	6732	2250.00	1830.14	6408	6094
5.	युवाओं और किशोरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	2670.00	2392.00	निर्धारित नहीं	2109 कार्यक्रम	2450.00	2220.00 -	निर्धारित नहीं	2142ई कार्यक्रम -
6.	युवा छात्रावास	200.00	350.0 (संशोधित अनुमान अवस्था)	8(वाईएच)	6(वाईएच)	400.00		5 वाईएच का पूरा किया	5 (वाईएच पूरा किया) एवं 20 वाईएच का नवीकरण किया गया
7.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	900.00	900.00	85 कार्यक्रम	85 कार्यक्रम	1000.00	1000.00	93 कार्यक्रम	83 कार्यक्रम
8.	राष्ट्रीय सदभावना योजना	670.00	670.00	6000	5465	9500.00	7680.00	6000	5730
9.	स्काउटिंग एवं गाइडिंग के संवर्धन की स्कीमें			250	250	- -	- -	266 -	161 (31.12.2009 तक)
10.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडल का आदान-प्रदान ii) राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम iii) यू0एन0वी0 कार्यक्रम के लिए अंशदान	332.00 18.00 0.00	212.84 18.00 0.00	वास्तविक लक्ष्य संभव नहीं क्योंकि ये राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समझौते पर निर्भर होते हैं ।		335.00 15.00 0.00	- - 0.00	वास्तविक लक्ष्य संभव नहीं क्योंकि ये राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समझौते पर निर्भर होते हैं ।	

* चार योजनाओं को मिलाकर नई अम्ब्रेला योजना बनायी गई

अध्याय IV

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए योजनागत स्कीमों की वर्षवार निष्पादन समीक्षा

(लाख रूपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2008-09 की निष्पादन समीक्षा				वर्ष 2009-10 की निष्पादन समीक्षा			
		वित्तीय		निष्पादन		वित्तीय		निष्पादन	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
I	**खेल विभाग: अवसंरचना संबंधी स्कीमें**								
1.1	पीवाईकेकेए । ग्रामीण खेल कार्यक्रम	9200	9200	10% ग्राम पंचायत तथा ब्लाक पंचायत कवर की जाएगी ।	19 राज्यों में 22854 ग्राम पंचायतों तथा 601 ब्लाक पंचायत कवर की गई	13500	10656	12000 ग्राम पंचायत तथा 600 ब्लाक पंचायत कवर की जाएंगी	1234 ग्राम पंचायतें और 53 ब्लाक पंचायतें कवर की गई।
2	खेल में उत्कृष्टता के संवर्धन की स्कीमें								
2.1	राष्ट्रीय खेल परिसंघ	3950	3950	कोचिंग शिविर: 350 राष्ट्रीय टूर्नामेंट: 175 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन: 400 भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट : 60	कोचिंग शिविर: 182 राष्ट्रीय टूर्नामेंट: 151 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन: 191 भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट: 52 (भारतीय टीमों तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए एथलीटों की तैयारी की योजना प्रारंभ होने के कारण राष्ट्रमंडल खेल के अंतर्गत कवर की गई खेल विधाओं को राष्ट्रमंडल खेल योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है	4100	4100	कोचिंग शिविर: 200 राष्ट्रीय टूर्नामेंट: 175 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन : 200 भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट: 55	(i)कोचिंग शिविर: (ii)राष्ट्रीय टूर्नामेंट: (iii) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन (iv)भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट

अध्याय IV

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए योजनागत स्कीमों की वर्षवार निष्पादन समीक्षा

(लाख रूपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2008-09 की निष्पादन समीक्षा				वर्ष 2009-10 की निष्पादन समीक्षा (21.12.2009 तक)			
		वित्तीय		निष्पादन		वित्तीय		निष्पादन	
	खेल विभाग (जारी)	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2.2	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण	150	150	खिलाड़ी 70 तथा सहायक कार्मिक : 20	खिलाड़ी 28 तथा सहायक कार्मिक: 41 (भारतीय टीमों तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए एथलीटों की तैयारी की योजना प्रारंभ होने के कारण राष्ट्रमंडल खेल योजना के अंतर्गत शीर्ष खिलाड़ियों की अधिकांश अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है।	300	00	खिलाड़ी: 60 सहायक कार्मिक: 20	खिलाड़ी: 5 सहायक कार्मिक:
2.3	एनएसएफडी+राज्य खेल अकादमी को मिला दिया गया	525	525	शीर्ष खिलाड़ी/ खेल अकादमियां/ संस्थाएं25	शीर्ष खिलाड़ी/खेल अकादमियां/ संस्थाएं 23	1525	762.5	स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान किए गए परियोजना/ खिलाड़ियों की संख्या: 28	स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान किए गए परियोजना/खिलाड़ियों की संख्या: 19
3	**खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन स्कीमें**								
3.1	नकद पुरस्कार	400	875	पदक विजेता और कोच: 200	पदक विजेता और कोच: 493	500	421	विशेष नकद पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सं0:350	विशेष नकद पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सं0:286

अध्याय IV

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए योजनागत स्कीमों की वर्षवार निष्पादन समीक्षा

(लाख रूपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2008-09 की निष्पादन समीक्षा				वर्ष 2009-10 की निष्पादन समीक्षा (21.12.2009 तक)			
		वित्तीय		निष्पादन		वित्तीय		निष्पादन	
	खेल विभाग (जारी)	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
3.2	मेरिटोरियस पेंशन	300	300	मेधावी खिलाड़ी 500	मेधावी खिलाड़ी 476	500	500	योजना के अंतर्गत नए खिलाड़ियों को पेंशन देने की सं0 50	योजना के अंतर्गत नए खिलाड़ियों को पेंशन देने की सं0 36
3.3	छात्रवृत्ति	500	11.25	खिलाड़ी: 7500	खिलाड़ी: 80	0.00	0.00	0.00 खिलाड़ी: 7500	0.00 खिलाड़ी: योजना स्थगित कर दी गई । साई उन खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय चैम्पियन हों और उन्हें जो उच्च शिक्षा जारी रखने की इच्छुक हों अथवा शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण अथवा साई की उपयोजना के रूप में खेल से संबंध किसी क्षेत्र में हों, को विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार अपनाने के लिए कहा गया है ।

अध्याय IV

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए योजनागत स्कीमों की वर्षवार निष्पादन समीक्षा

(लाख रूपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2007-08 की निष्पादन समीक्षा				वर्ष 2008-09 की निष्पादन समीक्षा			
		वित्तीय		निष्पादन		वित्तीय		निष्पादन	
	खेल विभाग (जारी)	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
3.4	राष्ट्रीय पुरस्कार								
3.4.1	राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	12	12	पदक विजेताओं की सं0: 1	पदक विजेताओं की सं0: 1	12	12	1	3
4	संस्थाओं को सहायता से संबंधित स्कीमें								
4.1	भारतीय खेल प्राधिकरण	15000	15000			16400	16400		
4.2	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2000	2000	छात्रों की सं0: 700	छात्रों की सं0: 700	2300	2300	छात्रों की सं0: 634	छात्रों की सं0: 777
4.3	डोप-विरोधी								
4.3.1	नाडा	175	175			225	100	एकत्र किए जाने वाले नमूनों की सं0 :3000 आयोजित किए जाने वाले आउटरिच कार्यक्रमों की सं0 :10 डोप विरोधी पैनल को सौंपे गए केसों की सं0 140 डोप विरोधी पैनल को सौंपे गए केसों की सं0 28	एकत्र किए जाने वाले नमूनों की सं0 :1600 आयोजित किए जाने वाले आउटरिच कार्यक्रमों की सं0 :5 डोप विरोधी पैनल को सौंपे गए केसों की सं0 49 डोप विरोधी पैनल को सौंपे गए केसों की सं0 1

अध्याय IV

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए योजनागत स्कीमों की वर्षवार निष्पादन समीक्षा

(लाख रूपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2007-08 की निष्पादन समीक्षा				वर्ष 2008-09 की निष्पादन समीक्षा			
		वित्तीय		निष्पादन		वित्तीय		निष्पादन	
	खेल विभाग (जारी)	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
4.3.2	एनडीटीएल	250	350			1400	850	जांच किए जाने वाले नमूनों की सं0:3000 मुहैया कराए जाने वाले उपस्करों की सं0:14 कार्यशालाओं की सं0:3 रिसर्च पेपर की सं0:12	जांच किए जाने वाले नमूनों की सं0:2340 मुहैया कराए जाने वाले उपस्करों की सं0:8 कार्यशालाओं की सं0:2 रिसर्च पेपर की सं0:9
4.3.3	वाडा अंशदान के लिए स्कीम	37	37			50	50		
5	**भागीदारी खेलों से संबंधित स्कीम**								
5.1	स्कूलों और कालेजों में खेलकूद के संवर्धन के लिए स्कीम	900	0.00	0.00	0.00	500	0.00	0.00	योजना समाप्त कर दी गई है । भाखेप्रा को विद्यमान योजना के तहत स्कूलों और कालेजों में कवरेज बढ़ाने के लिए कहा गया है ।
5.2	अशक्त व्यक्तियों के बीच खेलों का संवर्धन	70	0			500	0.00		योजना को नवम्बर, 2009 में ही अंतिम रूप दिया गया है ।

अध्याय- V

वित्तीय समीक्षा

अध्याय- V

वित्तीय समीक्षा

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2007-07, 2008-09 तथा 2009-10 बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-3 पर संलग्न है ।

2.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक का सार निम्न तालिका में दिया गया है:-

(रु0 करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमानों के संदर्भ में व्यय का %
2007-08	700.00	700.00	659.48	94.40%
2008-09	890.00	1311.00	1286.50	98.13%
2009-10	2699.00	2967.00	2327.20*	78.42%

* 26.02.2010 तक

2.1 **इसके विश्लेषण से निम्नलिखित स्थिति सामने आयी है:-**

i) व्यय का वास्तविक प्रतिशत बढ़ रहा है | इससे आबंटित बजट प्रावधान का अधिकतम उपयोग स्पष्ट दिशायी देता है |

ii) उपर्युक्त तीन वर्षों के बजट प्रावधान में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है | राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं के संबंध में 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में वास्तविक व्यय क्रमश: 239.98 करोड़ रू0, 492.50 करोड़ रू0, तथा 1796.51 करोड़ रू0 है । (25-2-2010 तक) इन खेलों का महत्व देखते हुए व्यय के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ।

iii) युवा कार्यक्रम विभाग तथा खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामने आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ समीक्षाएं/संशोधन आवश्यक समझे गए थे | ऐसी समीक्षा/संशोधन के परिणामस्वरुप, प्रदेय के संबंध में, पूर्वोत्तर सहित काफी प्रगति हो चुकी थी |

iv) लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों के निपटान के लिए विशेष प्रयास किए गए थे | संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय वेतन एवं लेखा कार्यालय के निकट सहयोग से केवल उन एजेंसियों, जिन्होंने भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्रमाणपत्र भेज दिया था, को धनराशि जारी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों

और प्रगति की निगरानी करता है | उपयोग प्रमाणपत्र ने भेजने की स्थिति में, आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया जाता है | इस स्थिति का आगे के अनुच्छेदों में और अधिक स्पष्ट किया गया है |

3 **<u>उपयोग प्रमाण पत्र</u>**

3.1 मुख्य लेखा नियंत्रक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय समय-समय पर लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या के संबंध में इस मंत्रालय को सूचित करता है |

3.2 संबंधित विभागों द्वारा वरिष्ठ स्तरों पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी तथा लंबित मामलों में कमी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं | इसमें जब कभी आवश्यक हो, विशेष अभियान चलाना तथा वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श शामिल है | इससे बड़े पैमाने पर लंबित मामलों में कमी आई है | सात महीने अर्थात जून 2009 से जनवरी 2010 तक 235 उपयोग प्रमाण पत्र जारी किए गए । उन एनजीओ जिन्होंने सरकारी अनुदान के संबंध में उपयोग का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है के विषय में दांडिक कार्रवाई आरंभ की गई है । चूककर्ता एनजीओ के नाम व पते विभाग की वेबसाइट में डाल दिए गए हैं । उक्त साइट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के संबंधित प्रभाग द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में अद्यतन किया जाता है । इसके अलावा नियमित अनुस्मारक भी चूककर्ता एनजीओं को जारी किए जाते हैं ताकि वे अतिशीघ्र उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें ।

3.3 वर्ष 2008-09 से आगे, इस मंत्रालय का बजट प्रावधान राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारियों और आयोजन से संबंधित विभिन्न घटकों में वृद्धि के कारण बढ़ा है | विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे ये खेल सफलतापूर्वक हो सकें |

*****

अध्याय-VI

सांविधिक और स्वायत्तशी निकायों की निष्पादन समीक्षा

अध्याय-VI

सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के निष्पादन की समीक्षा

युवा कार्य विभाग

1. नेहरु युवा केन्द्र संगठन

1.1 आईआईएम अहमदाबाद को एनवाईकेएस के प्रबंधन अध्ययन की जिम्मेदारी दी गई थी । आईआईएम अहमदाबाद ने फरवरी, 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इनकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है:-

(i) एनवाईकेएस कार्यक्रमों का पुनर्गठन |

(ii) एनवाईकेएस का युवा अधिकारिता एवं विकास पर प्रभाव |

(iii) सेवा में सुधार के लिए संगठनात्मक परिवर्तन ||

(iv) एनवाईकेएस प्रशासन को और अधिक प्रभारी बनाना

(v) स्वैच्छिक स्कीमों नामत: राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम तथा नेहरू युवा साथी स्कीम का मूल्यांकन

(vi) संगठनात्मक प्रभावीकरण के लिए एमआईएस का प्रयोग

(vii) संसाधन सृजन में वृद्धि

(viii) अन्य मंत्रालयों तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों आदि की सकीमों तथा कार्यालयों के साथ सहभागिता ।

1.2 एनवाइकेएस द्वारा आईआईएम अहमदाबाद द्वारा संचालित अद्यतन रिपोर्ट में की गई रिफारिशों की विस्तृत जांच की गई है । कुछ सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई निम्नलिखित है :-

(क) स्वयंसेवकों की नई स्कीम का आरंभ नामत:-राष्ट्रीय युवा कार्पस (एनवाईसी), जिसे दो विद्यमान स्कीमों-राष्ट्रीय सेवा सवयंसेवक स्कीम (एनएसयू) तथा राष्ट्रीय सदभावना योजना को मिलाकर बनाया गया है ।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से निधि/संसाधन उत्पन्न करने के लिए अभियान चलाया गया है ।

(ग) युवा नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास के नए कार्यक्रमों का आरंभ। संशोधित स्कीम का उद्देश्य युवाओं का कौशल स्तर बढ़ाना है ताकि वे स्व-रोजगार कर सकें ।

(घ) पारंपरिक रोजगार कौशल प्रमाणन परियोजना का आरंभ । इस स्कीम का उद्देश्य ग्राम स्तर पर पारंपरिक कौशल का पता लगाना, मोडुलर प्रशिक्षण के लिए कौशल का पालन है और इसके बाद चयनित बेरोजगार युवाओं का अभिमुखीकरण तथा प्रमाणन ।

(ड़) युवा विकास एवं अधिकारिता, जीवन कौशल, शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण तथा सामाजिक सदभावना के विभिन्न विषयों पर राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के माध्यम से संशोधित प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना ।

(च) स्वयंसेवकों को अतिरिक्त 122 जिलों में तैनाती जहां सभी एनवाईकेएस केंद्र गठित किए जाने हैं ।

(छ) एनवाईकेएस के कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों में क्षमता निर्धारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ ।

(ज) एनवाईकेएस के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से भरा जाए ।

(झ) एनवाईकेएस के कर्मचारियों की तैनाती/स्थानांतरण नीति को सुचारू बनाना ।

(ञ) स्वयंसेवकों को दिए जाने वाले मानदेय को 1000 रू0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रू0 प्रतिमाह करना ।

(ट) स्वयंसेवकों की सं0 बढ़ाकर 20,000 करना ।

2 राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआइवाइडी):

2.1 राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान इस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी निकाय है जो अप्रैल 1993 में स्थापित किया गया था इसकी स्थापना युवा विकास के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और युवा विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को समकक्ष विश्वविद्यालय घोषित किया गया है | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान प्रसंशनीय कार्य कर रहा है तथा यह अपने प्रकार का भारत में एकमात्र संगठन है

जो युवा विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की दिशा में काफी प्रभावी कार्य कर रहा है ।

2.2 वर्ष 2008-09 के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा है तथा संस्थान देश में युवाओं के लिए नीति बनाने वाला एक आधार स्तम्भ बन जाएगा ।

खेल विभाग

3.1 **भारतीय खेल प्राधिकरण** : भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, सेना बाल खेल कंपनी और भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से जिला स्तरीय प्रतिभा प्रतियोगिता आदि आयोजित करके सब जुनियर स्तर अर्थात 8 वर्ष इससे या इससे अधिक के बच्चों में प्रतिभा का पता लगता है तथा इसके बाद उनकी संबंधित खेल विधाओं में विशेषज्ञ कोचिंग सुविधा प्रदान करके तैयार करता है । इसके अतिरिक्त विशेष क्षेत्र खेल स्कीम के अंतर्गत जनजातीय बजटीय, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा का पता लगाया जाता है और उन्हें तैयार किया जाता है । अंत में इस प्रतिभा को उत्कृष्टता केन्द्रों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल मैदानों के विशेषज्ञ कोचिंग प्रदान करके और अधिक सक्षम बनाया जाता है , इसकी वजह से राष्ट्रीय टीम में चयन के समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की उपलब्धता बढ़ जाती है । भाखेप्रा पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देता है । भाखेप्रा के पास 31.12.2009 तक 1263 कोच तथा 1832 अन्य स्टाफ हैं । पिछले वर्ष, अर्थात 2009-10 में भाखेप्रा को उनकी गतिविधियों के लिए बजट अनुमान स्तर पर 202 करोड़ रू0 {(164(योजना)+38 (योजनेतर) +17 (पूर्वोत्तर क्षेत्र) } जारी किए गए जिसे कि संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 248.975 करोड़ रू0 {(200.375(योजना)+48.60 (योजनेतर) +32.50 (पूर्वोत्तर क्षेत्र)} किया गया तथा इस वर्ष अर्थात 2010-11 में 358 करोड़ रू0 {(321(योजना)+37 (योजनेतर) +34 (पूर्वोत्तर क्षेत्र)} का प्रस्ताव है ।

3.2 इसके अतिरिक्त भाखेप्रा ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के संदर्भ में अपने स्टेडियमों का स्तर सुधारने तथा टीम की तैयारी करने का कार्य लिया है, जिसके लिए अलग से निधि प्रदान की गई है तथा दो वरिष्ठ स्तर के विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और पर्यापत स्टाफ, को अनुबंधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4.1 **लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारिरिक शिक्षा संस्थान, गवालियर** : तीन शैक्षणिक संस्थान अर्थात लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारिरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर, लक्ष्मीबाई

राष्ट्रीय शारिरिक शिक्षा कालेज, त्रिवेंद्रम और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला भी इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारिरिक शिक्षा संस्थान, त्रिवेन्द्रम तथा ने0सु0रा0खे0सं0, भाखेप्रा को दिए गए अनुदान के अंतर्गत भाखेप्रा के एक हिस्से के रूप में कार्यरत हैं, ल0रा0शा0शि0वि0 एक अलग सोसाईटी है जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री है । यह शारिरिक शिक्षा में 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा शारिरिक शिक्षा में एम0फिल तथा पी0एच0डी0 के अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है । इसमें लगभग 777 विद्यार्थी हैं (553 लड़के तथा 224 लड़कियां) । यह एक आवासीय विश्वविद्यालय है जहां छात्रावास में रहना अनिवार्य है । इनके पास 40 शैक्षणिक तथा 100 गैर शैक्षिक स्टाफ है । इनके पास विशाल कैंपस, खुले मैदान, छात्रावास, प्रशासनिक ब्लाक, गेस्ट हाउस, योग हाल स्टाफ क्वार्टर आदि उपलब्ध है । संस्थान को चलाने तथा अवसंरचना सुविधाओं के सुधार एवं रखरखाव के लिए बजटीय प्रावधान है । पिछले वर्ष अर्थात 2009-10 में बजट अनुमान स्तर पर 30.00 करोड रू0 {(23(योजना)+ 7.00 (योजनेतर)} आबंटित किए गए जिसे कि संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 33.32 करोड़ रू0 {(23.00(योजना)+10.32 (योजनेतर)} किया गया, इस वर्ष अर्थात 2010.11 के लिए 36.30 करोड़ रू0 {(30.00(योजना)+6.30 (योजनेतर) +3.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र)} का आबंटन प्रस्तावित है ।

4.2 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के एक हिस्से तथा 100 दिवसीय कार्रवाई योजना के एक मद के रूप में एलएनयूपीई ग्वालियर का पूर्वोत्तर कैंपस चालू शैक्षणिक वर्ष (अर्थात 2009-10) से आरंभ हुआ । गुवाहाटी में पूर्वोत्तर कैंपस स्थापित करने के लिए असम राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन लंबित है इसलिए पूर्वोत्तर कैंपस ने चार वर्षीय सम्मिलित बी0पीएड (स्नातक डिग्री) के पहले वर्ष में 30 छात्रों (23 पुरूष तथा 7 महिला) के साथ ग्वालियर से कार्य आरंभ कर दिया है । पूर्वोत्तर कैंपस के प्रशिक्षार्थियों के चयन का स्तर तथा तरीका वही है जो कि एलएनयूपीई, ग्वालियर के मुख्य कैंपस में सीटो के चयन का है । ये अगले शैक्षणिक वर्ष से गुवाहाटी के परिसर में चले जाएंगे । अगले चार वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष 50 छात्रों के साथ कुल संख्या 200 होगी ।

4.3 एलएनयूपीई आरंभ से सह शिक्षा और पूर्णतः आवासीय है तथा पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं हैं । 2009-10 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएं आरंभ की गई हैः-

(i) 21 दिसम्बर, 09 को मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय छात्रावास जिसमें 150 व्यक्ति रह सकते हैं, का उद्घाटन किया गया । यह छात्रावास 15 महीने में निर्मित किया गया ।

(ii) पूर्णतः आधुनिक बहुउद्देशीय हाल (40 मीटरx54 मीटर) का मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल, भारत सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया, इसका हाल ही में निर्माण हुआ है और इसमें सिंथेटिक फ्लोटिंग तथा इंडोर क्लाइबिंग वाल है ।

(iii) केन्द्रीय पुस्तकालय भवन पूर्णतः सुसज्जित तथा डिजीटलाईज्ड है, इसमें इंटरनेट क्नेक्शन प्रदान किया गया है और सभी कार्रवाई इलेक्ट्रोनिक रूप से की जा रही है ।

(iv) पुराना व्यायामशाला भवन जिसका निर्माण 1969 में हुआ था और तब से उपयोग में है, को दिसम्बर, 2009 में पूर्णतः नवीकृत करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया गया ।

(v) संस्थान के पास तीन परंपरागत फिटनेस केंद्र हैं जो दशकों पहले सृजित किए गए । अगस्त, 2008 के दौरान एक अत्याधुनिक फिटनेस केंद्र खोला गया । फिटनेस प्रबंधन में स्नातकोतर डिप्लोमा के छात्रों की मांग तथा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए 17 अगस्त 2009 को विभिन्न पुर्नवास कार्यक्रमों के लिए अत्याधुनिक सुविधा प्रदान की गई ।

(vi) छात्रा होस्टल परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 100 स्नातकोतर बोर्डर की क्षमता के साथ मृगनयनी होस्टल खोला गया जिसका 18 जनवरी, 2010 को श्री राहुल गांधी, माननीय सांसद द्वारा उदघाटन किया गया ।

(vii) संस्थान के पास केवल एक 400 मीटर सिंडर ट्रैक है जिसे कि पांच दशक पूर्व बिछाया गया था । 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की परियोजना को अनुमोदित किया गया तथा इसकी नींव 18 जनवरी, 2010 को श्री राहुल गांधी, माननीय सांसद द्वारा रखी गई । ग्वालियर में यह पहला सिंथेटिक ट्रैक होगा ।

(viii) कैंपस में एक अत्याधुनिक क्रिकेट पैवेलियन का निर्माण किया गया है जो कि संस्थान के छात्रों को उत्कृष्ट सुविधा प्रदान करेगा । इस पैवेलियन में नियमित व्यायाम के लिए एक जिम, एक लघु कैफेटिरिया तथा कुछ अन्य जरूरी सुविधाएं हैं ।

5.1 **राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला (एनडीटीएल)** : एनडीटीएल डोप नमूनों की जांच तथा विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) और वाडा द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के सहयोग से इस विषय पर नवीनतम अनुसंधान संचालित करने के लिए जिम्मेदार है ।

5.2 अक्टूबर, 2006 से परिविक्षा अवधि पर रहने के बाद एनडीटीएल ने 21 सितम्बर, 2008 को वाडा का प्रत्यायन प्राप्त किया । वाडा एक निश्चित लैब द्वारा कुशलता जांच (पीटी) पास करने के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक प्रयोगशाला को प्रत्यायित

करता है । वर्ष 2009 में एनडीटीएल ने वाडा के पीटी राउंड में सफलतापूर्वक भाग लिया और वाडा द्वारा एनडीटीएल के प्रदर्शन को सहारा गया साथ ही इन्होंने प्रत्यायन को 1.1.2010 से दिसम्बर, 2010 तक बढ़ा दिया है ।

5.3 एनडीटीएल के नए भवन का 20 फरवरी, 2009 को डा0 एम0एएस0 गिल, माननीय मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा उद्घाटन किया गया । प्रयोगशाला को पुरानी जगह से नए भवन में मई-जून, 2009 के महीने में बड़े सुचारू तरीके से स्थानांतरित किया गया ।

5.4 2009 के दौरान एनडीटीएल में विभिन्न खिलाड़ियों के 4525 नमूनों की जांच हुई ।

5.5 एनडीटीएल ने अक्टूबर, 2010 में दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तैयारी कर ली है और ऐसे बड़े आयोजन में नमूनों की जांच के लिए वाडा द्वारा प्रत्यायित विभिन्न प्रयोगशालाओं के साथ संपर्क किया । इस संबंध में एनडीटीएल ने डोप रोधन के क्षेत्र में अन्य प्रयोगशालाओं अर्थात ड्रग कंट्रोल सेंटर (डीसीसी), लंदन, एनडीसीसी, बैंकाक (मलेशिया), कोलोन डोपिंग लैब (जर्मनी) के साथ द्विपक्षीय सहयोग आरंभ किया है ।

5.6 नए उपकरण जैसे जीसी-एनपीडी/एमएस और एलसी-एमएस स्थापित किए गए । जिन कंपनियों से ये उपकरण लिए गए उन एजेंसियों के इंजीनियर द्वारा प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण किया गया ।

अनुबंध-I

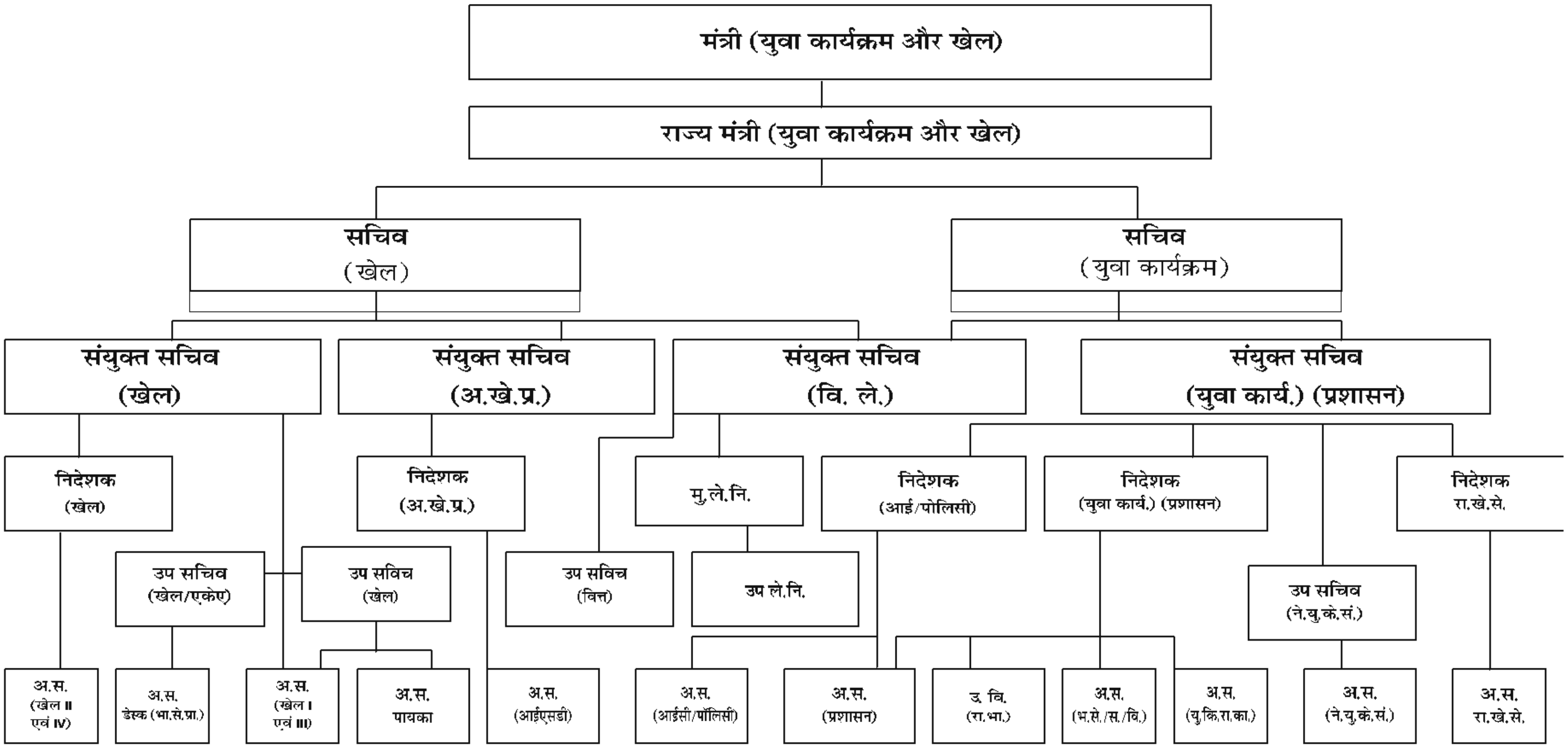

मंत्री (युवा कार्यक्रम और खेल)
राज्य मंत्री (युवा कार्यक्रम और खेल)
सचिव (खेल)
सचिव (युवा कार्यक्रम)
संयुक्त सचिव (खेल)
संयुक्त सचिव (अ.खे.प्र.)
संयुक्त सचिव (वि. ले.)
संयुक्त सचिव (युवा कार्य.) (प्रशासन)
निदेशक (खेल)
निदेशक (अ.खे.प्र.)
मु.ले.नि.
निदेशक (आई/पोलिसी)
निदेशक (युवा कार्य.) (प्रशासन)
निदेशक रा.खे.से.
उप सचिव (खेल/एकेए)
उप सविच (खेल)
उप सविच (वित्त)
उप ले.नि.
उप सचिव (ने.यु.के.सं.)
अ.स. (खेल II एवं IV)
अ.स. डेस्क (भा.से.प्रा.)
अ.स. (खेल I एवं III)
अ.स. पायका
अ.स. (आईएसडी)
अ.स. (आईसी/पॉलिसी)
अ.स. (प्रशासन)
उ. वि. (रा.भा.)
अ.स. (भ.से./स./वि.)
अ.स. (यु.कि.रा.का.)
अ.स. (ने.यु.के.सं.)
अ.स. रा.खे.से.

संकेताक्षर

अ.खे.प्र.	-	अंतरराष्ट्रीय खेल प्रभाग	उ.नि.(रा.भा.)	-	उप निदेशक (राजभाषा)
वि.स.	-	वित्त सलाहकार	यु.कि.वि.रा.का.	-	युवा तथा किशोर हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
मु.ले.नि.	-	मुख्य लेखा नियंत्रक	वि.ए.	-	वित्त एकक
रा.से.यो.	-	राष्ट्रीय सेवा योजना	वे.ले.	-	वेतन एवं लेखा
ने.यु.के.सं.	-	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	लो.शि.	-	लोक शिकायत
अ.स.	-	अवर सचिव	अ.सह.	-	अंतरराष्ट्रीय सहयोग
भा.खे.प्रा.	-	भारतीय खेल प्राधिकरण	सत	-	सतर्कता

आउटकम बजट 2010-11

अनुबंध-2

युवा कार्यक्रम विभाग

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)	युवाओं में स्वयंसेवकवाद का सुदृढीकरण राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में ग्रामीण युवाओं को लगाना ।	29.50	48.00 पूर्वोत्तर सहित 92.00 कार्यक्रमों के लिए आबंटित किए गए है ।	लागू नहीं	(i) युवा क्लब संपर्क कार्यक्रम (ii) महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण कार्यक्रम (iii) जरूरत आधारित विशेष कार्यक्रम (iv) जिला युवा सम्मेलन (v) राजीव गांधी साहस योजना (vi) कार्य शिविर (vii) राष्ट्रीय युवा दिवस/अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्री दिवस/सप्ताहों का समारोह (viii) युवा कृति और सांस्कृतिक महोत्सव (ix) खेल सामग्री/खेल टूर्नामेंटों के आयोजन का प्रावधान (x) समीक्षा सह योजनागत बैठक (xi) प्रलेखन	(i) युवा क्लब संघटन/संगठन (ii) युवा क्लबों को बनाने में ढांचा की स्थापना (iii) युवा विकास और सशक्तिकरण	युवा कार्यक्रम पर स्थानिय युवा नेतृत्व राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों और जिला सलाहकार समिति के परामर्श में डीवाईसी द्वारा जिला वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार की गई है ।	लक्षित बैठक के लिए निधि की पर्याप्तता ।

आउटकम बजट 2010-11

युवा कार्यक्रम विभाग

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)	युवाओं में स्वयंसेवकवाद का सुदृढीकरण राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में ग्रामीण युवाओं को लगाना ।		9.2 कार्यक्रमों के लिए 4.8	लागू नहीं	(i) युवा क्लब संपर्क कार्यक्रम (ii) महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण कार्यक्रम (iii) जरूरत आधारित विशेष कार्यक्रम (iv) जिला युवा सम्मेलन (v)राजीव गांधी साहस योजना (vi) कार्य शिविर (vii) राष्ट्रीय युवा दिवस/अन्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्री दिवस/सप्ताहों का समारोह (viii) युवा कृति और सांस्कृतिक महोत्सव (ix) खेल सामग्री/खेल टूर्नामेंटों के आयोजन का प्रावधान (x) समीक्षा सह योजनागत बैठक (xi) प्रलेखन	(i) युवा क्लब संघटन/संगठन (ii) युवा क्लबों को चलाने में ढांचा की स्थापना (iii) युवा विकास और सशक्तिकरण	युवा कार्यक्रम पर स्थानिय युवा नेतृत्व राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों और जिला सलाहकार समिति के परामर्श में डीवाईसी द्वारा जिला वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार की गई है ।	लक्षित बैठक के लिए निधि की पर्याप्तता ।

आउटकम बजट 2010-11

अनुबंध-2

युवा कार्यक्रम विभाग

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग लेने के लिए युवाओं को सुवअवसर प्रदान करना ।	-	पूर्वोत्तर के लिए 4.25 सहित 56.50	-	20,000 स्वयंसेवकों को नियुक्त किया जाना है ।	राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक कार्रवाई में लगाने के लिए प्रशिक्षित और युवा स्वयंसेवक युवा कार्यबल के कौशल और नियोजनीय	वर्ष के प्रारंभ में स्वयंसेवकों को नामांकित किया जाएगा ।	लक्षित बैठक के लिए निधियों की पर्याप्तता ।
2.2	पूर्वोत्तर के लिए राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग लेने के लिए युवाओं को सुवअवसर प्रदान करना ।	-	पूर्वोत्तर के लिए 4.25	-	20,000 स्वयंसेवकों को नियुक्त किया जाना है ।	राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक कार्रवाई में लगाने के लिए प्रशिक्षित और युवा स्वयंसेवक युवा कार्यबल के कौशल और नियोजनीय	वर्ष के प्रारंभ में स्वयंसेवकों को नामांकित किया जाएगा ।	लक्षित बैठक के लिए निधियों की पर्याप्तता ।

आउटकम बजट 2010-11

अनुबंध-2

युवा कार्यक्रम विभाग

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	एनडीएसआई	स्कूलों में कार्यक्रम विधा की भूमिका का शामिल करने की योजना को कार्यान्वित करना, अब इसे राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दिया गया है ।	3.67		-				एनडीएस अनुदेशकों को राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दिया गया है । भारत सरकार केवल वेतन और स्थापना के लिए उनका बजट वहन करेगी ।
4	राष्ट्रीय सेवा योजना	सामुदायिक कार्यों के माध्यम से छात्रों का व्यक्तित्व विकास ।	145.00	9.00	केन्द्रीय अंशदान-122.00 करोड़ रू0 राज्य अंशदान-42.51 करोड़ रू0 -	1. विशेष शिविर 2. नामांकन 3. गांवों को अपनाना	1. विशेष शिविर-13,310 31.3.2010 तक 2. नामांकन – 32,57,104 3. गांवों को अपनाना-13,310 31.3.2010 तक		कक्षा 10 और 12 में अध्ययनरत स्वयंसेवकों को विशेष शिविर के लिए मुक्त नहीं किया गया है और शिविरों के लक्षित परिणाम के रूम में ऐसे मामले नहीं हैं । 2.कार्यक्रम एकक लागत गुणवत्ता कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमान 3. संस्थानों को निधियों को समय पर जारी करना ।

आउटकम बजट 2010-11

अनुबंध-2

युवा कार्यक्रम विभाग

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयब द्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	युवा और किशोर विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक यह योजना 10वीं योजना के दौरान नामतः युवा गतिविधियों और प्रशिक्षण का संवर्धन, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन और किशोरों के विकास और अधिकारिता का संवर्धन, उसी प्रकार के उद्देश्यों के साथ योजनाओं के गुणात्मकता को कम करने की दृष्टि से, निधिकरण पैटर्न और कार्यप्रणाली कार्यान्वयन, में एकरूपता	0.50	24.50 (पूर्वोत्तर और अन्य प्रभारों सहित)	- -	वित्तीय सहायता निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी । 1. युवा नेतृत्व और वयक्तित्व विकास 2. राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन 3. साहस का संवर्धन 4. किशोरों का विकास और अधिकारिता 5. तकनीकी और संसाधन विकास	राष्ट्रीय एकीकरण सामुदायिक सौहार्द, साहस, जीवन कौशल शिक्षा, किशोरों के चल रहे स्कूल और स्कूल के बाहर दोनों के लिए कैरियर और मार्ग निर्देश	संबंधित राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुपुर्द प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव विचार किए जाते हैं और प्रत्येक प्रस्ताव पीएसी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है इसकी प्रक्रिया चल रही है ।	योजना अखिल भारतीय आधार पर कार्य कर रही है । परियोजना में गतिविधियों की रूपरेखा अत्यधिक प्रसिद्ध है तथापि, अधूरे प्रस्ताव/सीमित कार्य आदि के कारण सभी गैर सरकारी संगठनों/संघों/संस्थानों को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । इस योजना के अंतर्गत प्रसताव इस उद्देश्य के राज्य सरकारों द्वारा छानबीन समिति और राज्य सरकारें राज्य सतर के माध्यम से भेजती है । इस मंत्रालय को भेजने के पहले प्रत्येक प्रस्ताव के लिए प्राथमिकता निर्धारित की जाती है ।

		सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर और संस्थागत निधियों की उपलब्धता में विलंब दूर करने तथा परियोजनाओं के गठन और इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहभागिता के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केंद्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान योजनाओं को मिलाकर गठन किया गया ।							
6	स्काउटिंग और गाइडिंग के संवर्धन की योजना	योजना का उद्देश्य लड़के और लड़कियों के चरित्र का निर्माण तथा युवाओं का शारीरिक तथा मानसिक विकास की अभिवृद्धि करना ।	-	3.00	केंद्रीय अंशदान -	कार्यक्रमों का आयोजन	31.3.2010 तक 266 कार्यक्रम	31.12.2009 तक 161 कार्यक्रम	-

आउटकम बजट 2010-11

अनुबंध-2

युवा कार्यक्रम विभाग

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	**1. शानु प्रभाव** (i) अंतरराज्य युवा आदान प्रदान और होम स्टे कार्यक्रम (ii) सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता संवर्धन (iii) सामाजिक संजीवक के रूप में जनजातिय युवाओं को प्रशिक्षण (iv) मानव अधिकार (v) अहिंसा और शांति शिक्षा **2. टीओई प्रभाग** (i) युवाओं का कौशल विकास (ii) उद्यमिता विकास (iii) क्षमता निर्माण (iv)युवाअधिकारिता	3.00	4.00	-	212/17985	-	1 वर्ष 1 वर्ष	

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयब द्वता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. आईसीईवाईडी प्रभाग (i) युवा जोखिम (ii) स्वयंसेवकवाद (iii) निषिद्ध पदार्थों के विरूद्ध युवा (iv) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग (v) अंतरराष्ट्रीय दिवस का पालन **4. ग्रित्या प्राभाग** (i) अंतरराज्य अनुभव भागीदारी (ii) सामाजिक लेखा और लेखा परीक्षित (iii) युवा और पंचायत राज्य (iv) आपदा प्रबंधन (v) ईयाईपीडीपी (vi) पीआर अंतरराज्य आदान प्रदान कार्यक्रम (vii) पूर्वोत्तर और							

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयब द्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		जम्मू कश्मीर के लिए विशेष कार्यक्रम **5. अध्ययन प्रभाग** (i) आरटीआई अधिनियम एवं एनआरईजीएस (ii) पर्यावरण शिक्षा (iii) कैरियर परामर्श (iv) युवा मानसिक स्वास्थ्य (v) प्रशिक्षणवर्गीकरण (vi) अनुसंधान (vii) प्रलेखन (viii) प्रचार **6. लिंग प्रभाग** (i) लिंग समानता (ii) लिंग सुग्राहीकरण (iii) कानून से संघर्ष में युवा (iv) लिंग और							

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयब द्वता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		विकास **7. युवा स्वास्थ्य प्रभाग** स्वास्थ्य, जीवनशैली, बिमारियों, एचआईवी/एड्स तथा मादक औषधि के लिए कार्यक्रम आरंभ करना **8. किशोर स्वास्थ्य प्रभाग** (i) स्वामित्वधारियों की क्षमता निर्माण (ii) जीवनकौशल और कैरियर मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रदान करना (iii) किशोर पुनरूत्पादक और यौन स्वास्थ्य (iv) सामुदायिक रेडियो स्टेशन (v) किशोर मेला							

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. अकादमिक कार्यक्रम (i) 5 एम0ए0 कार्यक्रम (ii) एम0फिल0 और पी0एचडी कार्यक्रम (अंतरविधा) **10. निर्माण** (i) बालिका शयनशाला (ii) पुस्तकालय (iii) बालक छात्रावास **11. सूचना प्रौद्योगिकी और ईगवर्नेस**							

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक वितरण/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
			योजनेतर	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	युवा छात्रावास	देश में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करना तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम की संकल्पना	-	-	-	(i) तीन नये युवा छात्रावासों का निर्माण (ii) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संबंध में क्वीन वेटन रिले के माध्यम से 15 युवा छात्रावासों का नवीकरण	चल रही परियोजनाओं को पूरा करना	1 वर्ष	5 युवा छात्रावासों में विभिन्न श्रेणियों का सिविल कार्य जो निर्माणाधीन हैं ।
9	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडल का आदान प्रदान	3.35	3.35	-	- -	285	1.00	-	-
10	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम	15.00	15.00			0.00	0.00		
11	यूएनवी कार्यक्रम को योगदान	0.00	0.00			0.00	0.00		

अनुबंध-2

अनुबंध 2

खेल विभाग

आउटकम बजट 2010-11

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर बजट	(ii) योजनागत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजट				
1. अवसंरचना से संबंधित योजनाएं									
1.1	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेके)+ग्रामीण खेल कार्यक्रम	(i) सभी ग्रामीण एवं ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना का सृजन और रख-रखाव (ii) ब्लाक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन (iii) बुनियादी स्तर पर खेल उपकस्कर, सहायक उपकरण उपभोज्य आदि प्रदान करना तथा मरम्मत रखरखाव (iv) क्रीड़ाश्री को मानदेय सहित गैर प्रतिस्पर्धा पर होने	0.00	413.00	-	24000 ग्राम पंचायतों एवं 600 ब्लाकों को खेल अवसंरचना के विकास के लिए एकमुश्त पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा । खेल उपस्करों के अधिग्रहण, उपकरणों की देखदेख तथा क्रीड़ाश्री को मानदेय के भुगतान के लिए वार्षिक अधिग्रहण अनुदान और वार्षिक प्रचालन अनुदान ।	संपूर्ण देश में सभी ग्राम/ब्लाक प्राचायतों के 10% में राष्ट्रीय विकास के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से युवा नेतृत्व और विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए खेल	1-2 माह	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पीवाईकेकेए योजना के लिए 1500.00 करोड़ रूपये के कुल परिव्ययक के विरूद्ध योजना अवधि के प्रथम तीन वर्ष के दौरान 237.00 करोड़ रू0 प्रदान किये गये हैं ।

		वाले प्रचालनात्मक व्यय के लिए अनुदान प्रदान करना तथा अवसंरचना आदि का रखरखाव				इसके अलावा, ब्लाक, जिला स्तर पर टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए वार्षिक प्रतिस्पर्धा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा । इसके अलावा ग्राम पंचायतों/ब्लाक पंचायतों को प्रथम तीन स्थान सुरक्षित रखते हुए पुरस्कार राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी			
1.2	शहरी खेल अवसंरचना योजना	नई योजन अभी अनुमोदित की जानी है । प्रस्तावित योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में प्रमुख तरीकों से अत्याधुनिक खेल सुविधाएं प्रदान करना है ।	0.00	123.00		शहरी क्षेत्रों में खेले अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य सरकारों से लगभग 50 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी	शहरी युवाओं को खेल सुविधाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य लाभ एवं समाज विरोधी तथा अपराधिक गतिविधियों से सुवाओं को रोकने और सामाजिक व्यापकता का संवर्धन, मजबूत देश भक्ति और राष्ट्रीय अनुभव ।	1-2 माह	यह नई योजना है जिसे अनुमोदित किया जाना है ।

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर	(ii) योजना गत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
2	खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन की योजना								
2.1	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना	(i) कोचिंग कैम्पों का आयोजन (ii) राष्ट्रीय टूर्नामेंट (iii) भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट और (iv) भारतीय एथलीटों को विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान करना	3.00	150.00	-	व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन, कोचिंग शिविरों, उपस्करों, विदेशी कोचों इत्यादि के लिए सहायता दी जाती है । वर्ष 2010-11 में विभिन्न घटकों के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित है : 1. कोचिंग शिविरों का आयोजन 200 2. राष्ट्रीय टूर्नामेंट 150 3. भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 50 4. विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन 200	आगामी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जैसे राष्ट्रमंडल खेल 2010 और एशियाई खेल, 2010 में पदक तालिका में सुधार	25-30 दिन	पिछले अनुभवों और आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं को ध्यान में रखकर भावी आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर परिणाम तैयार किए गए हैं । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय टीमों और एथलीटों की तैयारी की योजना के आरंभ होने के कारण, राष्ट्रमंडल खेल योजना के अंतर्गत राष्ट्रमंडल खेल विधा को सहायता प्रदान की जा रही है । परिणामों की वास्तविकता परिसंघों से प्राप्त व्यवहार्य

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर	(ii) योजना गत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
									प्रस्तावो पर निर्भर करती है ।
2.2	प्रतिभा खोज ओर प्रशिक्षण	अलग अलग खिलाड़ियों, कोचों तथा अन्य सहायक कार्मिकों को, भारत में तथा विदेशों में स्पर्धाओं/सेमिनारों में भाग लेने और प्रशिक्षण के लिए औरउपकरण व वैज्ञानिक सहायता के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।	0.00	10.00		व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर खिलाड़ियों, कोचों तथा अन्य सहायक कार्मिकों को, भारत में तथा विदेशों में स्पर्धाओं/सेमिनारों में भाग लेने और प्रशिक्षण के लिए और उपकरण व वैज्ञानिक सहायता के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2010-11 में आंकड़े निम्नलिखित के लिए दर्शाए गए हैं : खिलाड़ियों की सं0 150 सहायक कार्मिकों की सं0 50	आगामी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक तालिका में सुधार	25-30 दिन	पिछले अनुभवों और बजट अनुमान के आंकड़ों के आधार पर परिणाम तैयार किए गए हैं । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय टीमों और एथलीटों की तैयारी की योजना के आरंभ होने के कारण अधिकांश उत्कृष्ट एथलीटों की आवश्यकताओं पर राष्ट्रमंडल खेल योजना के अंतर्गत ध्यान दिये गये थे। परिणामों की वास्तविकता खिलाड़ियों और सहायक कार्मिकों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करती है ।

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर	(ii) योजना गत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
2.3	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)+ आमेलित राज्य खेल अकादमी	विशेष प्रशिक्षण, अवसंरचना का सृजन, उपकरणों की खरीद के लिए, आर एंड डी आदि को लेते हुए सहायता उपलब्ध कराकर खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ाना देना+10-13 वर्ष की आयु समूह में खेलों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विकसित करना ।	0.00	15.25		व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर, 2010-11 में, देश और विदेश में विशिष्टीकृत प्रशिक्षण के लिए, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन, वैज्ञानिक समर्थन, उपस्करों, सहायक उपकरणों, पाकेट भत्ता, पौषणिक भत्ता आदि के लिए परियोजनाओं और विशिष्ट एथलीटों को सहायता प्रदान की जाती है । एफएसडीएफ के तहत निम्न सहायता प्रदान की जाती है । (i) चिन्हित विशिष्ट एथलीटों को प्राथागत प्रशिक्षण 10 (ii)खेल अकादमियों/संस्थानों 1	आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक तालिका में सुधार	30-45 दिन	पिछले अनुभवों और बजट आकलन के आंकड़ों के आधार पर परिणाम तैयार किए गए हैं । परिणामों की वास्तविकता खिलाड़ियों से व्यवहार्य पस्तावों पर निर्भर करती+राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव की प्राप्ति पर निर्भर ।
3	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की योजना								
3.1	नकद पुरस्कार	(i) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना (ii) युवा पीढ़ी को खेलों को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित करना	0.00	10.00		लगभग 500 खिलाड़ियों व उनके कोचों को 2010-11 में नकद पुरस्कार देने की अपेक्षा की जाती है ।	खिलाड़ियों व कोचों को प्रोत्साहन व प्रेरणा	80-90 दिन	खिलाड़ियों/कोचों के वर्तमान विवरण का बजटीय आबंटन व अवस्थिति

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर	(ii) योजना गत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
3.2	मेरिटोरियस पेंशन	उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना	0.00	7.50		575 से अधिक खिलाड़ियों को मेरिटोरियस पेंशन देने की अपेक्षा की जाती है ।	खिलाड़ियों को उनके सक्रिय खेल जीवन के पश्चात वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है	60-75 दिन	प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर
3.3	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	अपने सक्रिय कैरियर के दौरान दरिद्र और घायल अवस्था में रह रहे गत वर्ष के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करना	1.00	0.00		आवेदकों की प्राप्त संख्या पर आधारित होगा ।	खिलाड़ियों के कल्याण को प्रोत्साहित करना	25-30 दिन	व्यवहार्य प्रस्ताव की प्राप्ति पर आधारित
3.4	राष्ट्रीय पुरस्कार								
3.4.1	राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	खेलों के क्षेत्र में शानदार और सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए प्रति वर्ष एक खिलाड़ी का पुरस्कृत करना	-	0.12		वर्ष 2010 के लिए एक पुरस्कार दिये जाने की आशा की जाती है ।	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व प्रेरणा	80-90 दिन	राष्ट्रीय खेल परिसंघों, आईओए और राज्य सरकारों आदि से प्राप्त नामांकनों पर आधारित
3.4.2	अर्जुन पुरस्कार	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना	1.10	-	80-90 दिन	वर्ष 2010 के लिए 15 पुरस्कार दिये जाने की अपेक्षा है ।	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व प्रेरणा	80-90 दिन	राखेपरि0, भाओसं तथा राज्य सरकारों आदि से नामांकन प्राप्त होने पर निर्भर करता है
3.4.3	ध्यानचंद पुरस्कार	उन खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने खेल प्रदर्शन के माध्यम से खेलों के प्रति योगदान किया है तथा सक्रिय खेल कैरियर से रिटायर होने के बाद भी खेलों के संवर्धन में उनकी निरंतर भागीदारी है	0.20	0.00		वर्ष 2010 के लिए 03 पुरस्कार दिये जाने की अपेक्षा है ।	सक्रिय खेल कैरियर से रिटायर होने के बाद भी खेलों में उनकी निरंतरता के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित करना	80-90 दिन	राखेपरि0, भाओसं तथा राज्य/संघ शासित प्रशासन से नामांकन प्राप्त होने पर निर्भर करता है

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर	(ii) योजनागत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
3.4.4	द्रोणाचार्य पुरस्कार	ऐसे प्रशिक्षकों को सम्मानित करना जिन्होंने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को सुयोग्य बनाकर उनको उत्कृष्ट तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए समर्थ बनाया है ।	0.32	0.00		वर्ष 2010 के लिए 05 पुरस्कार दिये जाने की आशा की जाती है ।	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन में प्रशिक्षकों के योगदान की स्वीकृति	80-90 दिन	राखेपरि0, भाओसं तथा राज्य/संघ शासित प्रशासन से नामांकन प्राप्त होने पर निर्भर करता है
4	संस्थानों की सहायता से संबंधित योजना								
4.1	भारतीय खेल प्राधिकरण	(i) देश में खेलों का संवर्धन और व्यापक आधार प्रदान करना । (ii) प्रतिभा की पहचान और पोषण करना (iii) एथलीटों को प्रशिक्षण और (iv) सरकार की ओर से 5 स्टेडियमों का रखरखाव तथा उपयोग करना ।	37.00	321.00		1. खेल संवर्धन और विकास गतिविधियां : आने वाले खिलाड़ियों से साई के बीच स्पर्धा बढ़ेगी तथा सुविधाओं के उपयोग के लिए निगमित सहायता के लिए पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा 2. प्रशिक्षण और प्रबंधन खेल प्रावधान में स्टाफ व अन्य को प्रशिक्षित करना 3. स्टेडियम और भवन का रखरखाव ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय बनाया जा सके ।	देश में खेलों को व्यापक आधार प्रदान करना और संवर्धन करना	पूरे वर्ष	

क्र० सं०	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर	(ii) योजनागत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
						4. अकादमिक कार्यक्रम 5. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता-प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवश्यक खेल किट, प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन, वजीफा, दुर्घटना चिकित्सा बीमा प्रदान करना 6. सेना बाल खेल कंपनियां एबीएससी को वोर्डिंग, खेल किट शिक्षा खर्च, दुर्घटना सहायता प्रदान करना ।			
4.2	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	1. शारीरिक शिक्षा, खेल के क्षेत्र में उच्च नेतृत्व प्रदान करना 2. शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्टत तथा नवीकरण केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा अनुसंधान को शुरू करना, संवर्धन करना तथा फैलाना और इस क्षेत्र में साहित्य प्रकाशित करना, 3. शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य संस्था को पेशेवर और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना	6.30	30.00		गुवाहाटी में ले०रा०शा०शि० विश्वविद्यालय के पूर्वोत्तर परिसर को खोलना, सिंथेटिक ट्रैक बिछाना, नये प्रशासनिक ब्लाक वनाना	अकादमिक अवसंरचना तथा छात्रों की सहायता की गुणवत्ता को सुधारना छात्रों के प्रशिक्षण कौशल को सुधारना		

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर	(ii) योजनागत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
4.3	डोप विरोधी								
4.3.1	नाडा	डोप परिणाम प्रबंधन और परीक्षण योजना के बुरे प्राभाव के बारे में डोपिंग और शिक्षा के विरूद्ध सूचना का प्रसार करना	0.00	3.00		(i) एकत्र किये जाने वले नमूने की संख्या-5000 (ii) आयोजित किये जाने वाले आउटरिच कार्यक्रम की सं0-10 (iii) डोप-विरोधी अनुशासनात्मक पैनल द्वारा डोप-विरोधी मामलों की सुनवाई (iv) डोप-विरोधी अपील पैनल द्वारा अपील मामले की सुनवाई-28	जहां तक संभव हो मादक औषधि रहित खेल वातारण	पूरे वर्ष	
4.3.2	एनडीटीएल	(i) नये प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान करना (ii) नमूना जांच (iii) राष्ट्रमंडल खेल के प्रयोजन और इसके अलावा प्रायोगशाला का उन्नयन	0.00	11.50		(i) जांच किये जाने वाले नमूनों की सं0 (ii) खरीदे जाने वाले उपकरणों की सं0 (iii) कार्यशालाओं की सं0 (iv) अनुसंधान कार्य	जहां तक संभव हो मादक औषधि रहित खेल वातारण	पूरे वर्ष	
4.4	वाडा अंशदान की योजना	सभी मान्यता प्राप्त विश्वव्यापी प्रायोगशाला और परिणाम प्राबंध एवं परीक्षण योजना का भी प्राबंध करना	0.00	0.50		यूनेस्कों सम्मेलन के सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य	जहां तक संभव हो मादक औषधि रहित खेल वातारण	पूरे वर्ष	

क्र0 सं0	स्कीम कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रूपए)			मात्रात्मक मदें/वास्तविक निष्पादन	परियोजित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	अभियुक्ति/जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) योजनेतर	(ii) योजनागत बजट	(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटगत संसाधन				
5	सहभागी खेलों से संबंधित योजना								
5.1	विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलों का संवर्धन	यह नई योजना है जिसे हाल ही में अनुमोदित किया गया है योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों की मुख्य धारा में विकलांग खिलाड़ियों को ऊपर उठाना है ।	0.00	9.52		यह नई योजना शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए 2009-10 से आरंभ की जा रही है । योजना अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और अन्य जरूरत आधारित विशिष्टीकृत समर्थन में सहभागिता के लिए जिला स्तर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, लक्षित समूह का विशेष कोचिंग और अपेक्षित प्रशिक्षण को कवर करेगा	अशक्त लोगों के बीच खेल कूद का संवर्धन	पूरे वर्ष	
5.2	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप	राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियों में सहभागिता के लिए महिलाओं को ज्यादा अवसर प्रदान	1.10			एक राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ।	महिलाओं के बीच जागरूकता को जगाना	45-60 दिन	भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रस्तावों की प्राप्ति पर आधारित
6	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	राष्ट्रमंडल खेल, 2010 का आयोजन	614.54	1455.00	शून्य	चूंकि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए कार्य की मदें मात्रात्मक नहीं है इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए			

अनुबंध III

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2007-08 के लिए

(करोड़ में)

क्र0 सं0	स्कीम नाम नाम	बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008		वास्तविक 2007-2008	
		योजनागत	योजनेतर	योजनात	योजनेतर	योजनात	योजनेतर
(क)	सचिवालयी सामाजिक सेवा	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00	9.27
	योग (क)	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00	9.27
(ख)	युवा कल्याण योजनाएं						
1	राष्ट्रीय सेवा योजना	48.00	6.55	52.60	5.94	50.28	3.10
2	नेहरू युवा केंद्र संगठन	58.50	20.27	29.78	21.94	0.001	21.93
3	राष्ट्रीय विधा स्कीम	0.00	1.00	0.00	3.67	0.00	1.00
4	साहस गतिविधियों का संवर्धन	3.10	0.50	3.60	0.00	2.97	0.00
5	स्काउटिंग और गाइडिंग का संवर्धन	1.80	0.00	1.80	0.00	1.41	0.00
6	राष्ट्रीय सेवा स्वंयेसेवक स्कीम	13.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
7	राष्टींय एकीकरण का संवर्धन	11.50	0.00	9.30	0.00	8.82	0.00
8	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टिमंडम का आदान-प्रदान	2.82	0.00	2.82	0.00	2.40	0.00
9	युवा छात्रावास	1.25	0.00	3.60	0.00	2.52	0.00
10	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम	0.18	0.85	0.18	0.85	0.07	0.81
11	संयुक्त राष्ट्र स्वंसेवक कार्यक्रम का अंशदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.06
12	गुवा गतिविधियों और प्रशिक्षण का संवर्धन	3.50	0.00	3.50	0.00	2.14	0.00

अनुबंध III

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2007-08 के लिए

(करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008		वास्तविक 2007-2008	
		योजनागत	योजनेतर	योजनात	योजनेतर	योजनात	योजनेतर
13	राष्ट्रीय सदभावना योजना	8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
14	राष्ट्रीय फिटनेस कार्प्स	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
15	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	8.00	0.65	8.00	0.65	8.00	0.65
16	ग्रामीण युवा और खेल क्लबों को सहायता जिनमें मूल्यांकन भी शामिल है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	किशोरों के कल्याण और विकास के लिए स्कीम	15.30	0.00	12.50	0.00	6.76	0.00
18	एचआईवी/एड्स से संबंधित योजना	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	योग (ख)	**175.45**	**29.93**	**140.68**	**33.15**	**98.371**	**27.55**
(ग)	**खेल कुद और शारीरिक शिक्षा**						
1	भारतीय खेल प्राधिकरण	152.15	29.42	120.00	32.96	126.95	32.96
2	खेल परिसंघों का अनुदान	51.49	3.00	54.49	3.00	55.63	2.76
3	खेलों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन स्कीम	62.00	0.00	31.75	0.00	38.05	0.00
4	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप	0.00	0.60	0.00	1.10	0.00	0.50
5	अशक्त लोगों के बीच खेलों का संवर्धन	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
7	अर्जुन पुरस्कार	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.48
8	ध्यानचंद पुरस्कार	0.00	0.10		0.10	0.00	0.09
9	द्रोणाचार्य पुरस्कार	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.13

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2007-08 के लिए (करोड़ रू0 में)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008		वास्तविक 2007-2008	
		योजनागत	योजनेतर	योजनात	योजनेतर	योजनात	योजनेतर
10.	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम	8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
11	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00
12	राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	0.12	0.00	0.12	0.00	0.10	0.00
13	अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार	2.88	0.00	16.88	0.00	16.90	0.00
14	पब्लिक आवासीय सकूलों में एनसीसी जूनियर डुप के लिए अनुदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
15	डोप परीक्षण के लिए स्कीम	1.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00
16	वाडा के लिए अंशदान	1.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00
17	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	**150.00**	**0.00**	**237.51**	**70.21**	**239.98**	**70.21**
18	राज्य खेल अकादमी	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
19	खेल अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	स्कूलों में खेल अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल के संवर्धन के लिए अनुदान	5.40	0.00	4.69	0.00	5.29	0.00
22	सिंथेटिक खेल मैदान तैयार करने के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	अन्य पूंजिगत व्यय (सीपीडब्ल्यूडी आदि)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
	कुल (ग)	454.55	40.01	489.32	114.26	506.77	113.16
(घ)	अन्य कार्यक्रम	**0.00**	**0.73**	**0.00**	**0.73**	**0.00**	**0.12**
	जोड़ (घ)	**0.00**	**0.73**	**0.00**	**0.73**	**0.00**	**0.12**
	पूर्वोत्तर (युवा)	**24.55**		**24.55**		**19.11**	
	पूर्वोत्तर (खेल)	**45.45**		**45.45**		**37.19**	
(ड)	**जोड़ - पूर्वोत्तर (पूर्व)**	**70.00**	**0.00**	**70.00**		**56.31**	
	संपूर्ण जोड़ (क+ख+ग+घ+ड)	**700.00**	**80.00**	**700.00**	**157.47**	**661.441**	**150.10**

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2008-09 के लिए (Rs. in crore

क्र0 सं0	योजना का नाम	बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009	
		योजनागत	योजनेतर	योजनात	योजनेतर	योजनात	योजनेतर
(क)	सचिवालयी सामाजिक सेवा	0.00	9.87	0.00	11.93	0.00	10.89
	योग (क)	0.00	9.87	0.00	11.93	0.00	10.89
(ख)	युवा कल्याण स्कीम						
1	राष्ट्रीय सेवा योजना	86.00	6.60	54.51	7.43	47.31	0.54
2	नेहरू युवा केंद्र संगठन	68.00	22.00	50.68	38.00	53.15	38.00
3	राष्ट्रीय विधा स्कीम	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67
4	स्काउटिंग और गाइडिंग का संवर्धन	3.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00
5	राष्ट्रीय सेवा स्वंयेसेवक स्कीम	14.00	0.00	9.38	0.00	10.16	0.00
6	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टिमंडल का आदान-प्रदान	3.35	0.00	3.35	0.00	2.12	0.00
7	युवा छात्रावास	1.25	0.00	2.75	0.00	1.99	0.00
8	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम	0.15	0.85	0.15	0.85	0.18	0.77
9	संयुक्त राष्ट्र स्वंसेवक कार्यक्रम का अंशदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
10	राष्ट्रीय सदभावना योजना	8.50	0.00	5.70	0.00	6.70	0.00
11	राष्ट्रीय फिटनेस कार्प्स	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
12	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	9.00	0.65	8.00	1.00	8.00	1.00
13	ग्रामीण युवा और खेल क्लबों को सहायता जिनमें मूल्यांकन भी शामिल है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	किशोरों के कल्याण और विकास के लिए स्कीम	24.55	0.50	24.55	0.50	21.74	0.00
	योग (ख)	**217.80**	**34.38**	**160.80**	**51.56**	**153.09**	**44.08**

अनुबंध III

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2008-09 के लिए (करोड़ रू0 में)

क्र0 सं0.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009	
(ग)	खेल और शारीरिक शिक्षा						
1	भारतीय खेल प्राधिकरण	148.00	33.00	133.00	38.00	165.50	38.00
2	खेल परिसंघों का अनुदान	51.00	3.00	38.50	3.00	38.99	3.00
3	खेलों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन स्कीम	11.50	0.00	10.50	0.00	10.35	0.00
4	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10
5	अक्षम व्यक्तियों के बीच खेलों का संवर्धन	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
7	अर्जुन पुरस्कार	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.52
8	ध्यानचंद पुरस्कार	0.00	0.10		0.10	0.00	0.09
9	द्रोणाचार्य पुरस्कार	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.14
10	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम	5.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
11	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	22.00	6.00	20.00	7.00	20.00	7.00
12	पब्लिक स्कूलों में एनसीसी जूनियर डूप को अनुदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
13	डोप विरोधी गतिविधियां	6.75	0.00	5.75	0.00	5.72	0.00
14	राष्ट्रमंडल खेल,	**224.00**	**132.74**	**800.00**	**167.74**	**492.50**	**167.74**
15	स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	4.25	0.00	4.25	0.00	9.25	0.00
17	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	110.50	0.00	82.00	0.00	82.06	0.00
18	नगरपालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य पूंजीगत व्यय (सीपीडब्ल्यूडी आदि)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
	जोड़ (ग)	**605.00**	**176.83**	**1095.50**	**217.83**	**807.87**	**217.77**

अनुबंध III

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2008-09 के लिए

(करोड़ रू0 में)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009	
(घ)	अन्य कार्यक्रम	0.00	0.73	0.00	0.68	0.00	0.42
	जोड़ (घ)	**0.00**	**0.73**	**0.00**	**0.68**	0.00	0.42
	पूर्वोत्तर (युवा)	24.20		**24.20**		17.56	
	पूर्वोत्तर (खेल)	43.00		**30.50**		30.43	
(ङ)	जोड़ - पूर्वोत्तर (पूर्व)	**67.20**	0.00	**54.70**		**48.00**	
	संपूर्ण जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	**890.00**	**221.81**	**1311.00**	**282.00**	**1008.95**	**273.15**

अनुबंध III

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2009-10 के लिए

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		वास्तविक 2009-2010 (26-2-2010 तक)	
		योजनागत	योजनेतर	योजनात	योजनेतर	योजनात	योजनेतर
(A)	सचिवालयी सामाजिक सेवा	0.00	12.19	0.00	13.79	0.00	12.38
	जोड़ (क)	0.00	12.19	0.00	13.79	0.00	12.38
(B)	युवा कल्याण स्कीम						
1	राष्ट्रीय सेवा योजना	86.00	7.00	86.00	7.00	56.95	3.60
2	नेहरू युवा केंद्र संगठन	70.00	32.00	70.00	32.00	66.50	32.00
3	राष्ट्रीय विधा स्कीम	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00
4	स्काउटिंग और गाइडिंग का संवर्धन	3.00	0.00	3.00	0.00	1.98	0.00
5	राष्ट्रीय सेवा स्वंयेसेवक स्कीम	28.60	0.00	28.60	0.00	21.55	0.00
6	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टिमंडम का आदान-प्रदान	3.35	0.00	3.35	0.00	1.00	0.00
7	युवा छात्रावास	3.25	0.00	3.25	0.00	0.84	0.00
8	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम	0.15	0.85	0.15	0.85	0.10	0.84
9	संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक का अंशदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
10	राष्ट्रीय फिटनेस कार्प्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	राजीव गांधी युवा विकास संस्थान	9.00	1.00	9.00	1.00	6.75	0.75
12	किशोरों के कल्याण और विकास के लिए स्कीम	22.55	0.50	22.55	0.50	17.49	0.00
	जोड़ (ख)	**225.90**	**45.12**	**225.90**	**45.12**	**173.16**	**37.19**

अनुबंध III

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2009-10 के लिए

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		वास्तविक 2009-2010 (26-2-2010 तक)	
(ग)	खेल और शारीरिक शिक्षा						
1	भारतीय खेल प्राधिकरण	138.00	38.00	167.87	48.60	131.50	38.00
2	खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता	44.00	3.00	52.00	3.00	40.81	2..70
3	खेलों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन स्कीम	8.50	0.00	10.50	0.00	8.60	0.00
4	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अक्षम व्यक्तियों के बीच खेलों का संवर्धन	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
6	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.33
7	अर्जुन पुरस्कार	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.84
8	ध्यानचंद पुरस्कार	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.19
9	द्रोणाचार्य पुरस्कार	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.21
10	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	23.00	7.00	23.00	10.32	17.25	9.22
11	पब्लिक स्कूलों में एनसीसी जूनियर ड्रूप को अनुदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
12	डोप विरोधी गतिविधियां	16.75	0.00	15.50	0.00	9.50	0.00
13	राष्ट्रमंडल खेल	**2000.00**	**264.42**	**2268.00**	**615.00**	**1796.51**	**201.10**
14	स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	14.25	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
16	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	145.50	0.00	125.00	0.00	101.70	0.00
17	नगरपालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	अन्य पूंजीगत व्यय (सीपीडब्ल्यूडी आदि)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
	कुल (ग)	**2403.00**	**316.27**	**267.100**	**679.67**	**2105.87**	**252.59**

अनुबंध III

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2009-10 के लिए

(Rs. in crore)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		वास्तविक 2009-2010 (26-2-2010 तक)	
(घ)	अन्य कार्यक्रम	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.10
	जोड़ (घ)	**0.00**	**0.42**	**0.00**	**0.42**	0.00	0.10
	पूर्वोत्तर (युवा)	25.10		**25.10**		17.06	0.00
	पूर्वोत्तर (खेल)	45.00		**45.00**		31.11	0.00
(ङ)	जोड़ - पूर्वोत्तर (ङ)	**70.10**	0.00	**70.10**		**48.17**	0.00
	संपूर्ण जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	**2699.00**	**374.00**	**2967.00**	**739.00**	**2327.20**	**302.26**